

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV(4)/2019-01(01)2019TC-I

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2019

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	2	3	4	5
1	एल्बा मंड्रेले	अंग्रेजी	श्री एस.के. मंड्रेले, द्वारा-श्री चन्दन सिंह बिष्ट ईश्वर विहार कॉलोनी, निकट पानी की टंकी, मल्ली बमौरी, हल्द्वानी-263139, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड	स्व० चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)
2	रुचिता भट्ट	अंग्रेजी	2/127 सरस्वती विहार कॉलोनी जी०आई०सी० रोड पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड पो०ओ०-डिग्री कॉलेज, 262502	श्री अनुसूइया प्रसाद बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)
3	ममता	अंग्रेजी	गली नं०-14, निकट अमृता आश्रम धार, बिठौरिया नं०-1 ऊंचापुल, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)
4	शिवानी लटवाल	अंग्रेजी	लटवाल हाउस, नियर-रेनबो स्कूल, बिठौरिया नं०-1, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड 263139	राजकीय महाविद्यालय, पावौ (पौड़ी गढ़वाल)
5	किरन बाली	अंग्रेजी	डॉ० किरन शर्मा, 179, शिवपुरा, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	राजकीय महाविद्यालय, देवीधुरा (चम्पावत)
6	दीपिका पन्त	अंग्रेजी	श्री श्याम ट्रेडर्स, नियर-वाइट हॉल स्कूल, ऊंचापुल, कालाढूंगी रोड, पो०ओ०-कठघरिया, हल्द्वानी (नैनीताल)-263139	राजकीय महाविद्यालय, शीतलाखेत (अल्मोड़ा)
7	आभा जोशी	अंग्रेजी	'मनोज सदन' अशोक विहार, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)-263645	राजकीय महाविद्यालय, पतलोट (नैनीताल)
8	लीना पुण्डीर	अंग्रेजी	मकान नं०-42, नियर-आनन्दम रेजिडेन्सी, धर्मपुर, देहरादून-248001	ओकारानन्द सरस्वती राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल)
9	वर्षा सिंह	अंग्रेजी	H-167 शिवालिक नगर, बी०एच०ई०एल० हरिद्वार, उत्तराखण्ड	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागनाथपोखरी (चमोली)
10	सैयद अहमद रजा आब्दी	अंग्रेजी	ए-1072/7, जी०टी०बी० नगर, करैली इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश-211016	राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी (टिहरी गढ़वाल)

27	मीनाक्षी कश्यप	अंग्रेजी	डी-21, आदर्शनगर कालोनी, निकटगोलेगुरु द्वारा-ज्वालापुर, हरिद्वार- 249407	राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी (देहरादून)
28	श्वेता सिंह	अंग्रेजी	55/1 अम्बेडकरनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407	शहीद स्व० बेलमती चौहान, राजकीय महाविद्यालय, पोखरी (क्वीली) (टिहरी गढ़वाल)
29	सिद्धार्थ कुमार गौतम	अंग्रेजी	मकान नं० 213, मोहल्ला-नत्था सिंह, वार्ड-02, जसपुर, उधमसिंहनगर 244712	राजकीय महाविद्यालय, लमगडा (अल्मोड़ा)
30	योगिशा	अंग्रेजी	गांधी मार्केट, निकट अमृत स्टूडियो, ज्वालापुर हरिद्वार 249407	राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी (रूद्रप्रयाग)
31	भरत राम	अंग्रेजी	ग्राम-बेरीनाग (ट्रेजरी लाइन) पो० बेरीनाग पिथौरागढ़- 262531	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा (बागेश्वर)
32	गुंजन अमरोही	अंग्रेजी	पुत्री श्रीकिरणप्रकाश ग्राम-आन सिंह रामड़ी, पो० फतेहपुर, हल्द्वानी, नैनीताल 263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे (अल्मोड़ा)
33	जितेन्द्र सिंह	अंग्रेजी	ग्राम व पो० विलकोट बाया नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल	श्री अनुसूइया प्रसाद बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)
34	नवीन चन्द्रा	अंग्रेजी	ग्राम-नरसिंहपुर ऐरडा, पो०ओ०-पीरुमदारा, रामनगर, नैनीताल 244715	राजकीय महाविद्यालय, गणाई गंगोली (पिथौरागढ़)
35	भगत राम	अंग्रेजी	जिला-उद्योग केन्द्र, कासनी, पिथौरागढ़	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)
36	मोनिका टम्टा	अंग्रेजी	20-डी, सैन्च्युरी अपार्टमेंट, सेक्टर-100 नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश	स्व० गोपाल बाबू गोस्वामी, राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया (अल्मोड़ा)

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

16- उक्त नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर/लम्बित विभिन्न रिट याचिका संख्या-78(एस0बी0)/2019, 22(एस0बी0)/2019, 82(एस0बी0)/2019 एवं 129(एस0बी0)/2019 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णयादेश के अधीन होंगी।

(अशोक कुमार)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-640(1)/XXIV(4)/2019-01(01)/2019 TC-I, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने के तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध कराये।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से.

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पू0सं0:डिग्री सेवा-1/1738-42/2019-20

दिनांक: जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
2. संबंधित प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व संबंधित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने संबंधी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ0 सुरेश चन्द्र पन्त)
प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा

संख्या- 20
6/3/21

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2021-01(19)2021
देहरादून : दिनांक 03 मार्च, 2021

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका विवरण (नाम एवं पता) तालिका में उल्लिखित है, को असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद के निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों (जनपदवार) में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-अल्मोड़ा			
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम (कु0 / श्री / श्रीमती)	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय
1.	मोनिका बिष्ट	HILL VIEW COLONY, KANJABAGH ROAD, KHATIMA, UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND- 262308	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला।
2.	दीपा मेहरा	बी-2, टाइप-III, ऑफिसर कॉलोनी पाइन्स तल्लीताल, नैनीताल-263002,	स्व0 श्री जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत
3.	पूजा	मकान संख्या-64, राजकीय प्राइमरी स्कूल के समीप, ग्राम-सौनगाँव, पो0-खैराली, वि0खं0-बेतालघाट, जिला-नैनीताल-263134	स्व0 श्री जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत
4.	हेमा	बिलोरिया कम्पाउण्ड, आल्पस होटल, मल्लीताल, नैनीताल-263001	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे
5.	अमित कुमार	ग्राम-बाड़ीकोट, पो0-भिक्यासैण, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन-263667	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे
6.	ममता पंत	ग्राम शंकरपुर तल्ला, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे
7.	केतकी तारा कुमर्याँ	Dr. Ketki Tara Kumaiyan, Gopal Collage, Tallital, Nainital, Uttarakhand.	राजकीय महाविद्यालय भतरौंजखान।
8.	नीमा पन्त	"विनायक" म.नं.-2-829 आस्था विहार, तुलसीनगर, पॉलीशीट कोठगोदाम, हल्द्वानी (नैनीताल)	स्व0 श्री म0मो0उ0स्व0सं0से0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट

9.	रेखा	चन्द्र सिंह, लीला कुँज, प्लॉट-31 नियर बजरंग कॉलोनी, गोविन्दपुर गरवाल, कमलुवागांजा रोड, हल्द्वानी-263139, जिला-नैनीताल।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला
10.	सन्तोष पंसारो	C/o MUKESH KUMAR SARAF, A-4- 89, CENTURY PULP AND PAPER, LALKUA, NAINITAL, (UK)	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला
11.	मनीषा	विकास नगर, से0-2, बिठौरिया नं0-1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, पो0ओ0-हरिपुर नायक, नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन-263139	श्री राम सिंह धौनी राजकीय महाविद्यालय, जैती
12.	योगेश सिंह राणा	ग्राम-चौमेला, पो0 व तहसील-सितारगंज, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन-262405	श्री राम सिंह धौनी राजकीय महाविद्यालय, जैती
13.	ज्योति राणा	ग्राम-भणचुरी, पो0-नौसर, तहसील-खटीमा, जिला-उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)।	गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया
14.	प्रिय दर्शन	ग्राम-नोणियाखेत, पो0-नैनीडाण्डा, तह0-धुमाकोट, जनपद-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-246161	एस0एस0एस0एस0एस0 पान सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय तल्ला सल्ट
15.	पूरन राम	ग्राम-चौना, पो0-दौलाघट, जनपद-अल्मोड़ा, पिन-263655	राजकीय महाविद्यालय, मासी
जनपद-बागेश्वर			
16.	भगवती टम्टा	रैलापाली, लोअर माल रोड, पो0 व जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड-263601	स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय, कपकोट
17.	दिनेश कुमार	ग्राम-जुडका (थोनपुरी), पो0-कुण्डेश्वरी, काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर, पिन-244713	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
18.	मोहिनी मित्तल	S-360/B-A/1, Street No07, BHOLA NATH NAGAR, SHAHDARA, DELHI-32	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
19.	कु0 दिव्या कटियार	पिटू खाद भण्डार निकट पो0ऑफिस, ग्राम व पो0-बल्लिया (भमोरा), तहसील-आवला बरेली, उत्तर प्रदेश-243402	शहीद महेन्द्र सिंह भाकुनी राजकीय महाविद्यालय, दुर्गनाकुरी
20.	आशा गोरवामी	पुनेठी छतार, बार्ड नं0-01, चम्पावत।	कुमारु केसरी पं0 बदीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
जनपद-चमोली			
21.	कीर्तिराम	कीर्तिराम (प्रवक्ता राजनीति विज्ञान), रा0इ0का0 केदारुखाल, कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली, उत्तराखण्ड।	डॉ0 शिवानन्द नौटियाल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली।

- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
 (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
 (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

- 9- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।
 10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।
 11- यदि असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
 12- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।
 13- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 14- जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं हैं, उन असिस्टेंट प्रोफेसर से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
 15- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13(2) एवं 18(1) से आच्छादित होगी।

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)

उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 234 (1)/XXIV-C-4/2021-01(13)2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-194/03(06)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18, दिनांक 02.02.2021 द्वारा राजनीति विज्ञान विषय की चयन संस्तुतियाँ उपलब्ध कराते हुए इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान सूचना की स्थिति शरान को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।

- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

पू0सं0: डिग्री सेवा-1/ 9420 /2020-21 दिनांक: 06 मार्च, 2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर/चमोली/चम्पावत/नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल/पिथौरागढ़/रूद्रप्रयाग/टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी द्वारा- प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय।
3. प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भतरौजखान/जैती/चौखुटिया/तल्ला सल्ट/मांसी/कपकोट/काण्डा/दुर्गनाकुरी/तलवाड़ी/नारायणबगड़/नन्दासैण/देवीधुरा/बेतालघाट/पोखड़ा/उफरैखाल/पाबौ/चौबट्टाखाल/थलीसैण/सतपुली/नैनीडाण्डा/मजरा महादेव/मुनस्यारी/गंगोलीहाट/मुवानी/जखोली/गुप्तकाशी/पावकी देवी/देवप्रयाग/पोखरी (ववीली) पदटी/अगरोड़ा/चन्द्रबदनी/नैनबाग/लम्गौव/थत्पूड/पौखाल/कमांद/पुरोला/चिन्यालीसौड़/ब्रह्मखाल/मानिला/रानीखेत/स्याल्दे/द्वाराहाट/बागेश्वर/कर्णप्रयाग/जोशीमठ/नागनाथपोखरी/गोपेश्वर/जयहरीखाल/नारायणनगर/अगस्त्यमुनि/उत्तरकाशी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. संगणक, उच्च शिक्षा, निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० कुमकुम रौतेला)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

कॉलेज कोड 15020312/11522

1

निदेशांक 1503/1
माइक में
we

नवा-1

2/6

05/2/21

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2021-01(15)2021
देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2021

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर-संस्कृत के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका विवरण (नाम एवं पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	बबिता काण्डपाल	मार्फत श्री हरीश चन्द्र पंत, आनन्द विहार कॉलोनी, भगवानपुर, जयसिंह कठघरिया, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263139.	एल0एस0एम0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़।
2	उमेश चन्द्र जोशी	राजकीय इण्टर कॉलेज, महरोली, पो0-बिसराखेत, ब्लॉक-स्याल्दे, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263661	कुमायूँ केसरी पं0 बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, जनपद बागेश्वर।
3	प्रकाश चन्द्र जांगी	मकान सं0-6, ग्राम-देवपुर दनाई, पो0-चोरगलिया, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263139	राजकीय महाविद्यालय, शीतलाखेत, अल्मोड़ा।
4	मृगांक मलासी	जे-672, गली नं0-3 जे ब्लॉक, करतार नगर, दिल्ली।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेशीनाग, पिथौरागढ़।
5	शिक्षा	बी-240, डीडीए फ्लैट्स, बिंदापुर, पाकेट-3, पीर बाबा मजार के पास, दिल्ली-110059	रामचन्द्र उन्निगाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी, जनपद उत्तरकाशी।
6	हेम चन्द्र	ग्राम-जाख तेवाड़ी, पो0-लमगड़ा, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263625.	राजकीय महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत।
7	अभय सिंह	हाउस नं0-डी.यू.-715/1, वार्ड-21, दीपक कॉलोनी, पलवल, हरियाणा, पिन कोड-121102.	राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी, चमोली।

क्रमशः 2

8	नवीन पंत	म.नं.-722, आवास विकास कॉलोनी, वीरभद्र रोड़, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249201,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ, चमोली।
9	विवेक कुमार	104/7, FIRST FLOOR, STREET NO-28D, MBEXTN. BADARPUR, New Delhi-110044	शहीद महेन्द्र सिंह भाकुनी राजकीय महाविद्यालय, दुर्गनाकुरी, बागेश्वर।
10	शुभम उनियाल	मार्फत श्री सत्या प्रसाद उनियाल, ब्लॉक-सी, गली नं0-2, मंदाकिनी विहार, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-24801,	फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, लम्बगौव, टिहरी गढ़वाल।
11	हरीश बहुगुणा	आर0सी0 जैन, 7ए/140, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली।
12	भूपेन्द्र	ग्राम व पो0-भौरी, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन कोड-247667,	राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा।
13	डॉ0 आशीष कुमार	ग्राम-शिवपुर, पो0-हथिगहाँ, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-211013,	राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव, पौड़ी गढ़वाल।
14	विभा राघव	TARA VARMA'S HOUSE, NEAR GOVT. DEGREE COLLEGE. BHATARAUIKHAN (ALMORA), UTTARAKHAND.	राजकीय महाविद्यालय, गणाई गंगोली, पिथौरागढ़।
15	डॉ0 श्रीमती मनीषा सिंह	ग्राम व पो0-विलकोट वाया नैनीडाण्डा, तहसील-धूमाकोट, जिला-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	श्री अनुसूया प्रसाद बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग।
16	बीना रानी	पुरुसोल गाँव, चम्बा (टिहरी गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पिन कोड-249145,	राजकीय महाविद्यालय, कमान्द, टिहरी गढ़वाल।
17	नीतू सिंह	निकट रेलवे गेट नं0-32, वी0पी0ओ0 बालावाला, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-248001,	राजकीय कन्या महाविद्यालय, खानपुर, हरिद्वार।
18	अतुल कुमार मिश्र	177, एफ/10, बी 4, हरीश अपार्टमेंट, वार्ड नं0-2, महरोली, नई दिल्ली-110030	राजकीय महाविद्यालय, अमोडी चम्पावत।
19	शिप्रा	मं.नं0-बी-57, राजनगर, कॉलोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249407,	भक्तदर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल।

Ray

20	गणेश भागवत	ग्राम व पो0-सौंड उप्पू, तहसील-टिहरी, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली।
21	नीतू दत्त नौटियाल	मं०नं०-32, पो०-बरींघा, रंगर्यो, तहसील-चकराता, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-248124,	श्री राम सिंह धौनी राजकीय महाविद्यालय, जैती, अल्मोड़ा।
22	भूप सिंह धामी	ग्राम व पो०-सैंथी (बोरागाँव), तहसील-धारचूला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, पिन कोड-262545,	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत।
23	कुमारी फरीन रानी	मं०नं०-38, शिव मंदिर, पीठ बाजार के पास, मुस्लिम मौहल्ला, ग्राम जगजीतपुर, पो०-कनखल, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249408,	शहीद जगदीश प्रसाद पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, घाट, चमोली।
24	रेखा कुमारी	C-114, BUDH VIHAR, JAJPURPAHARI, BADARPUR, NEW DELHI-110044	शहीद खेमचन्द्र डौबी राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट, नैनीताल।
25	कु० ऋतु	ग्राम-खड़कपुर देवीपुरा, निकट राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड-9, पो०-काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-244713,	राजकीय महाविद्यालय, पाटी, चम्पावत।
26	रितेश प्रसाद टम्टा	ग्राम-भगवानपुर विचला, पो०-कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263139,	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री पान सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट अल्मोड़ा।
27	तनुजा मौर्या	भगवतीपुरम कॉलोनी, गुरुकुल कॉंगड़ी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249404,	श्री अनुसूया प्रसाद बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग।
28	ओम प्रकाश	वार्ड नं०-24, रम्पुरा, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263153,	राजकीय महाविद्यालय, नन्दासैण, चमोली।
29	हरीश कुमार	रा०इ०का० पटलगाँव, पो०-भगौली, विकासखण्ड-चौखुटिया, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263656,	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर।

30	पूनम	को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बाजपुर, डी-स्पेशल-17, बाजपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, भतराँजखान, अल्मोड़ा।
31	निमिता कन्याल	VILLAGE-NEW BAJETI, POST- DEGREE COLLEGE, DISTT & TEHSIL-PITHORAGARH, PIN- 262502, UTTARAKHAND.	राजकीय महाविद्यालय, गरुड़, बागेश्वर।
32	दिनेश शाह	ग्राम-ईड, पो0-थाती धनारी, तहसील-डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249151,	राजन्द्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, उत्तरकाशी।
33	भारती	INFRONT OF ST. PAUL CHURCH, BABUGARH, VIKASNAGAR, DEHRADUN, PIN-248198, UTTARAKHAND.	राजकीय महाविद्यालय, जखौली, रुद्रप्रयाग।
34	बलजीत	ग्राम-खनात, पो0-गढतिर, तहसील-बेरीनाग, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, पिन कोड-262531,	स्व0 वन्दर सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर।
35	उर्वशी पंवार	न्यू जौनसारी कॉलोनी, डाकपत्थर रोड़, डॉक्टरगंज, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, थत्तूड़, टिहरी गढ़वाल।
36	जलज कुमार	L-1101, AJNARA INTEGRITY, RAJNAGAR EXT. GAZIABAD, U.P-201017	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर।
37	अनीता टम्टा	ग्राम-तल्ली चौदमारी नियर जी0आई0सी0 हॉस्टल, पो0-लोहाघाट, जिला-चम्पावत, उत्तराखण्ड, पिन कोड-262524,	राजकीय महाविद्यालय, गरुड़ाबाज, अल्मोड़ा।
38	महेश चन्द्र	ग्राम-भटखोला, पो0-छानी, जिला-बागेश्वर, उत्तराखण्ड।	कुमार्यू केसरी बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, जनपद बागेश्वर।

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- असिस्टेंट प्रोफेसर को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य गंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- असिस्टेंट प्रोफेसर को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वरथ घोषित किये जाने के उपरान्त ही

उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8- योगदान करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्डर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में, यदि कोई हो तो।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

10- वित्त विभाग के शासनादेश सख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

kan

के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11- यदि असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14- जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं हैं, उन असिस्टेंट प्रोफेसर से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

15- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13(2) एवं 18(1) से आच्छादित होगी।

16- उक्त नियुक्ति, बलजीत सिंह (अनुक्रमांक-450155) एवं कल्पना वत्स (अनुक्रमांक-451226) द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-355/2020 एस0/बी0 तथा देशबन्धु भट्ट द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-359/2020 एस0बी0 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अंतिम निर्णयाधीन रहेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-135 (1)/XXIV-C-4/2021-01(15)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था

- कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

पू0सं0: डिग्री सेवा-1/ 8556 /2020-21 दिनांक: 06 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, अल्मोडा/पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर/पौड़ी गढ़वाल/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल/चमोली/रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
3. सम्बन्धित प्राचार्य राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
6. संगणक, उच्च शिक्षा, निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० कुमकुम रौतेला)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

डिप्टी मेका

11

22/5/2020

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 22-मई, 2020

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु० 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	सुमन मेहता	भौतिक विज्ञान	डी-3, रेजिडेंसियल कॉलोनी, बीटीकेआईटी, द्वाराहाट, जिला-अल्मोड़ा, पिन कोड-263653	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट
2	वर्षा रानी	भौतिक विज्ञान	ग्राम-नादेही, पो0ऑ0-शुगर मिल नादेही, पिन-244717, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, जैती
3	किरण पंत	भौतिक विज्ञान	प्रेमनगर, नीडड़ा निकट शिवालिक स्कूल, काशीपुर, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
4	रजनीश जोशी	भौतिक विज्ञान	ग्राम व पो0-पेटशाल, जिला-अल्मोड़ा, पिन कोड-263601, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत
5	लक्ष्मण सिंह देव	भौतिक विज्ञान	श्री लक्ष्मण सिंह देव पुत्र श्री प्रेम सिंह देव, निकट राम मन्दिर ठाकुर द्वारा, जिला-बागेश्वर, पिन-263642, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
6	आंचल सती	भौतिक विज्ञान	कल्याणिका सदन, नजदीक हुक्का क्लब, पो0-अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग
7	ललित सिंह	भौतिक विज्ञान	ग्राम एवं पो0-बरंगल, जिला-अल्मोड़ा, पिन कोड-263659	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग
8	नीतू पाण्डे	भौतिक विज्ञान	ए-503, भवानी, अपार्टमेंट, सैक्टर-54, गुडगाँव, हरियाणा, पिन-122002	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
9	शीतल चौहान	भौतिक विज्ञान	घर नं०-3724, वार्ड-3, मौ. गुजरशतियान, जसपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-244712	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत

10	मंजूलता यादव	भौतिक विज्ञान	नई टिहरी रोड़, चम्बा, पो0-चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल, पिन कोड-249145	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडाण्डा
11	ऋचा गहलौत	भौतिक विज्ञान	द्वारा डाँ0 ध्यान सिंह, मौह0-दिला सिंह आर्य समाज रोड़, जसपुर, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड-244712	राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी
12	स्नेह जोशी	भौतिक विज्ञान	3/20 आदर्श नगर, पीली कोठी, कम्पाउण्ड, हल्द्वानी, पिन कोड-263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि
13	आशीष बिजलवाण	भौतिक विज्ञान	डी-51, ऋषिविहार, मेहूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी
14	गरिमा पुनेठा	भौतिक विज्ञान	शिव भवन, खारकोट, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग
15	हेमलता बिष्ट	भौतिक विज्ञान	सरस्वती शिशु मंदिर, शिवाजी नगर, तल्ला खोल्ता, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263601	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
16	आशा जोशी	भौतिक विज्ञान	सी-281, प्रताप विहार-3, किरारी सुलेमान मार्ग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110086	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
17	पारुल रतूडी	भौतिक विज्ञान	वार्ड नं0-4, नजदीक पुलिस चौकी, बाईपास रोड़, ढालवाला, ऋषिकेश, पो0-मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल-249137,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवप्रयाग
18	सुधीर सिंह रावत	भौतिक विज्ञान	ग्राम-फलई, पो0-अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग, पिन-246421, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैंण
19	सुदिप्ता	भौतिक विज्ञान	25/22, परसोली वाला, हाथीबड़कला, देहरादून, पिन कोड-248001, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर
20	अजय बहुगुणा	भौतिक विज्ञान	म.नं.-11, बहुगुणा आवास, जय कॉलोनी, कैलाशपुर खुर्द, फातिमा मजिस्ट के पास, पिन्दुवाला, देहरादून, पिन कोड-248171, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड
21	कृष्णा डबराल	भौतिक विज्ञान	पीपलमण्डी, चिन्यालीसौड उत्तरकाशी, पिन-249196	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी
22	कमल किशोर द्विवेदी	भौतिक विज्ञान	ग्राम बमनगाँव (खादिया), पो0 ऑ0-कवीटी, तहसील-मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पिन कोड-262553, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
23	नवीन कोहली	भौतिक विज्ञान	ग्राम-मोलकट (मखना), पो0 व तहसील-पुरोला, जिला-उत्तरकाशी, पिन कोड-249185	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ

24	नम्रता देयाल	भौतिक विज्ञान	विवेकानन्द मार्ग घुण्डोड़, पो0-बिन जाखनी, पिथौरागढ़।	राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट
25	दीपक कुमार	भौतिक विज्ञान	राजकीय पॉलीटेक्निक, कनालीछीना, पिथौरागढ़।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणनगर
26	अरविन्द कुमार रावत	भौतिक विज्ञान	ग्राम-डोभालगाँव, पो0-गडुगाड, तहसील-मोरी, जिला- उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249185	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी
27	गीता बृथवाल	भौतिक विज्ञान	ग्राम व पो0-खँकर, तहसील -काफलीगैर, जिला-बागेश्वर।	राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर
28	अनुज कुमार	भौतिक विज्ञान	ग्राम-बालूपुर, डाकखाना- भलस्वामाज, जिला-हरिद्वार, पिन-247668, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, तलवाडी
29	महेन्द्र प्रताप सिंह राणा	भौतिक विज्ञान	द्वारा-राजेन्द्र सिंह राणा, निअर मामचंद चौक, ग्राम एवं पो0-बालावाला, देहरादून।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी
30	अनिल कुमार	भौतिक विज्ञान	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रमेश लाल, ग्राम-विरोगी, पो0 व तहसली गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल, पिन कोड-249146, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागनाथ पोखरी
31	अनुज कुमार	भौतिक विज्ञान	श्री अनुज कुमार पुत्र स्व0 श्री एम0एस0 मुधवन, मौहल्ला- शिवपुरी, लक्सर, हरिद्वार, पिन-247663	राजकीय महाविद्यालय, गैरसैण
32	प्रशान्त	भौतिक विज्ञान	म.नं.-12, आशीर्वाद शान्ती कॉलोनी, किच्छा रोड, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल
33	अंजलि नौटियाल	भौतिक विज्ञान	द्वारा श्री राम भजन नौटियाल, नौटियाल भवन, गंगा विहार, नवादा रोड, माजरी माफी, मोहकमपुर, देहरादून, पिन कोड -248005	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर
34	विजय सिंह राणा	भौतिक विज्ञान	ग्राम-बिचपुरी, पो0-बिडौरा, तहसील-सितारगंज, जिला- उधमसिंहनगर, पिन कोड -262405, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, लम्बगाँव
35	ऋतु टम्टा	भौतिक विज्ञान	नरसिंहबाड़ी निकट राम कृष्णधाम, अल्मोड़ा।	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग

4

36	अमित कुमार सिंह	भौतिक विज्ञान	कमरा नं.-6, फेस-II, टाईप-III, नई सचिवालय, कॉलोनी, निकट दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम, देहरादून-248021	राजकीय महाविद्यालय, अगरोडा
----	-----------------	---------------	--	----------------------------

2- वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश/प्रदेश में उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति के कारण इस समय उक्त चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी को तैनाती के समय इस आशय का प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

6- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

8- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

9- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

(1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्डर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।

(3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।

(4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।

(5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

10- उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

11- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कर्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

12- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

14- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेन्ट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत किये गये लॉकडाउन खुलने के पश्चात् ही तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

15- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं हैं, उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

16- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की संगत धाराओं से आच्छादित होगी।

17- उक्त नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर/लम्बित रिट याचिका संख्या-35(एस0बी0)/2020 कल्याण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होंगी।

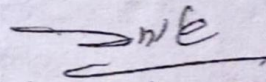
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-408 (1)/XXIV-C-4/2020-01(01)/2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।

- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था-कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।


(एम0एम0 सेमवाल)

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल (नैनीताल) सचिव।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय काण्डा (बागेश्वर)

प्रभार प्रमाण-पत्र

दिनांक: 02.07.2020

प्रमाणित किया जाता है कि उप सचिव उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-4 देहरादून के नव नियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या XXIV-C-4/2020-01(01)/2019/TC दिनांक 22 मई, 2020 तथा उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल के पृ0सं0 डिग्री सेवा/1869/2020-21 दिनांक 01 जुलाई, 2020 के अनुपालन में क्रमांक 15 में अंकित हेमलता बिष्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान के पद पर वेतनमान रु0 57700-182400 (एकैडमिक लेवल-10) में अस्थायी आधार पर आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 के पूर्वाह्न में इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। यह कार्यभार हस्तान्तरण नव नियुक्ति के फलस्वरूप हुआ है।

प्रतिहस्ताक्षरित
HLL
02/07/2020
प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय
काण्डा (बागेश्वर)

मुक्त अधिकारी.....XXX

मोचक अधिकारी- Hemlata
हेमलता बिष्ट

पृष्ठाकन संख्या 46-4/पी0एफ0/2020-21/तददिनांकित

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड नवाइखेड़ा गौलापार हल्द्वानी नैनीताल।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-1, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कोषाधिकारी उपकोषागार काण्डा।
- ✓ 5. सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर
6. व्यक्तिगत पत्रावली।

HLL
02/07/2020

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
काण्डा (बागेश्वर)

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2021-01(13)2021
देहरादून : दिनांक 24-फरवरी, 2021

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में **असिस्टेंट प्रोफेसर-हिन्दी** के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका विवरण (नाम एवं पता) तालिका में उल्लिखित है, को असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित **जनपद-बागेश्वर** के निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	गोपाल राम	मकान नं0-02, देवपुरम, मान्सी एनक्लेव निकट गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249408	शहीद महेन्द्र सिंह भाकुनी राजकीय महाविद्यालय, दुर्गनाकुरी, बागेश्वर।
2.	रेखा भट्ट	ग्राम व पो0-हरिपुरनायक, कुसुमखेरा हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।	कुमाऊँ केसरी पं0 बदरदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, (जनपद-बागेश्वर)।
3.	कैलाश	111-A, गली नं0-09, सुशांत विहार, दिल्ली-110036	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर।
4.	बन्दना चन्द	मोहल्ला-तिलडुकरी, पो0-सिल्थाम, जिला-पिथौरागढ़, पिन-262501	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर।
5.	शीला	ग्राम-पल्यूडा, पो0-सोमेश्वर, जिला-अल्मोड़ा, पिन-263637	स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर।
6.	राजेश प्रसाद	ग्राम-महोली, पो0-सनेती, जिला-बागेश्वर, पिन-263634, उत्तराखण्ड।	कुमाऊँ केसरी पं0 बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, (जनपद-बागेश्वर)

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन

Kam

के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3— नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4— असिस्टेंट प्रोफेसर को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5— असिस्टेंट प्रोफेसर को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6— असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7— इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा—

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8— योगदान करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा—

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्डर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं

Law

Law

किया गया है, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में, यदि कोई हो तो।

(3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।

(4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।

(5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9— उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

10— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11— यदि असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12— सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13— सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14— जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं हैं, उन असिस्टेंट प्रोफेसर से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

15— उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13(2) एवं 18(1) से आच्छादित होगी।





(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 309 (1)/XXIV-C-4/2021-01(13)2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-176/03(i)/असि०प्रो०/डी०आर०/सेवा-02/2017-18, दिनांक 05.01.2021 द्वारा हिन्दी विषय की चयन संस्तुतियाँ उपलब्ध कराते हुए इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध करायें।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

PSM

Law

आज्ञा से,
21/1/21

(एम०एम० सेमवाल)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 01 जुलाई 2020
संशोधन/विज्ञप्ति

शासन के नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-411/XXIV-C-4/2020-01(01)2019 TC, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर-समाजशास्त्र विषय में चयनित अभ्यर्थियों की विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति/तैनाती की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के उक्त आदेश संख्या-411, दिनांक 22 मई, 2020 में इंगित तालिका के क्रमांक-6, 22, 24, 29, 30, 31, 33, 36, 42, 45, 48 एवं 51 में अंकित अभ्यर्थियों की तैनाती में निम्न कॉलम-6 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय	संशोधित/नवीन तैनाती महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	नीलम सौन	समाजशास्त्र	ग्राम-सुवाकोट, पो-बड़डा, जिला- पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट।	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा ✓
2	ज्ञानेन्द्र सिंह	समाजशास्त्र	जी0-2, प्लॉट-19, ज्ञान खण्ड-II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ0प्र0- 201014,	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडाँडा।	राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी
3	शीतल	समाजशास्त्र	श्रीमती शीतल पत्नी नितिन वालिया, द्वारा धीरेन्द्र सिंह वालिया, काली माता मन्दिर रोड़, दिनकर विहार निकट गढ़वाल सभा भवन एनफील्ड, विकासनगर, देहरादून-248198	राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग।	राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी
4	धीरेन्द्र सिंह	समाजशास्त्र	ग्राम-बिरही, पो-मायापुर, जिला- चमोली, पिन-246472, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।	राजकीय महाविद्यालय, गैरसैण
5	पवन कुमार	समाजशास्त्र	श्री पवन कुमार द्वारा श्री मुरारीलाल, जाटव बस्ती, भवानीगंज, रामनगर, नैनीताल-244715, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी।	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडाण्डा
6	द्विजेश कुमार	समाजशास्त्र	ग्राम व पो-शहदौरा, तहसील- किच्छा, जिला उधमसिंहनगर, पिन- 263148, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग।	राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट

7	चन्द्रा गोस्वामी	समाजशास्त्र	श्रीमती चन्द्रा गोस्वामी, पुत्री श्री प्रताप गिरी गोस्वामी, ग्राम-नयागाँव, कटान, पो0-चोरगलिया, जिला-नैनीताल, पिन कोड-263139,	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा।	राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट
8	संजीव कुमार आर्या	समाजशास्त्र	प्रेम पुष्पान्चल भवन, 8-336/अ, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, पिन-263139	राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट।	राजकीय महाविद्यालय, पतलोट
9	इप्सिता सिंह	समाजशास्त्र	158/2डी, ऑफीसर्स कॉलोनी, लेन-3, राजपुर रोड, देहरादून-248009, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, उफरैखाल।	राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट
10	उमा आर्या	समाजशास्त्र	न्यू एफ/9, हैदराबाद कॉलोनी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, पिन-221005,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।	राजकीय महाविद्यालय, उफरैखाल
11	सुभाष चन्द्र	समाजशास्त्र	ग्राम-अदनी, पो0-रौन्तल, तहसील-चिन्यालीसौंड, जनपद-उत्तरकाशी, पिन-249196, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, गैरसैण।	राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी
12	पवन कुमार	समाजशास्त्र	ग्राम व पो0-बड़कोट, जिला उत्तरकाशी, पिन-249141, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चकराता।	राजकीय महाविद्यालय, त्यूणी

3- शासन के उपर्युक्त नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-411/XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC, दिनांक 22 मई, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसकी अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व तैनाती मण्डलानुसार स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करा ली गयी हो, उन्हें नये मण्डल में तैनातीनुसार पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय काण्डा (बागेश्वर)

प्रभार प्रमाण-पत्र

दिनांक: 11.07.2020

प्रमाणित किया जाता है कि उप सचिव उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-4 देहरादून के नव नियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या XXIV-C-4/2020-01(01)/2019/TC दिनांक 01 जुलाई, 2020 तथा उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल के पृ0सं0 डिग्री सेवा/1869/2020-21 दिनांक 01 जुलाई, 2020 के अनुपालन में क्रमांक 01 में अंकित नीलम सौन ने असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद पर वेतनमान रु0 57700-182400 (एकैडमिक लेवल-10) में अस्थायी आधार पर आज दिनांक 11 जुलाई, 2020 के पूर्वाह्न में इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। यह कार्यभार हस्तान्तरण नव नियुक्ति के फलस्वरूप हुआ है।

प्रतिहस्ताक्षरित

HLH
11/07/2020

प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय
काण्डा (बागेश्वर)

मुक्त अधिकारी.....XXX

मोचक अधिकारी *HLH*
नीलम सौन

पृष्ठांक संख्या 62 / पी0एफ0 / 2020-21 / तददिनांकित

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड नवाडखेड़ा गौलापार हल्द्वानी नैनीताल।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-1, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कोषाधिकारी उपकोषागार काण्डा।
5. सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर
- ✓ 6. व्यक्तिगत पत्रावली।

HLH
11/07/2020

प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय
काण्डा (बागेश्वर)

डिप्टी मेधा

22/5/2020

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC

देहरादून : दिनांक 22 मई, 2020

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	श्री शिखर पाण्डेय	इतिहास	शिखर पाण्डेय पुत्र श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय, जी0आइ0सी0 रोड निकट डिग्री कॉलेज, पो0 ऑ0 डिग्री कॉलेज, पिथौरागढ़-262502, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत
2	कुमारी मंजरी जोशी	इतिहास	मार्फत रावत हार्डवेयर, ताड़ीखेत, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिन कोड-263663, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
3	सुश्री नीतू	इतिहास	नीतू पुत्री श्री केवल चन्द्र खुल्बे, ग्राम-रामणी छोटी, पो0ऑ0-फतेहपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, पिन-263139, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
4	श्रीमती पूनम पंत	इतिहास	निर्मला कुंज, कौशल्या विहार, हिम्मतपुर मल्ला, पो0ऑ0-इरिपुर नायक, हल्द्वानी (नैनीताल)- 263139, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट
5	सुश्री सुनीता कण्डारी	इतिहास	182, दिव्य विहार कॉलोनी, धरमपुर डाण्डा, पो0ऑ0-नेहरूग्राम, देहरादून, पिन कोड-248014, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडाण्डा
6	श्री अभिषेक कुकरेती	इतिहास	बैंक कॉलोनी जौनपुर, कोटद्वार, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी
7	श्रीमती अर्चना जोशी	इतिहास	मातृ छाया भवन, हाईडिल कॉलोनी, बाईपास रोड, सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर-262405, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला
8	श्रीमती पुष्पा	इतिहास	श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री विशन सिंह, ग्राम खटलगाँव, पो0-आमधार, पट्टी-मल्ला सल्ट, तह0 सल्ट, जिला-अल्मोड़ा, पिन-263676, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग

36	श्रीमती कंचन वर्मा	इतिहास	श्रीमती कंचन वर्मा पत्नी श्री पंकज वर्मा, जौहरी बाजार, अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा-263601, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट
37	श्री कृष्ण देव रतूड़ी	इतिहास	रतूड़ी भवन, वार्ड नं.-02, नियर-रा. बा.इ.का.-पुरोला, उत्तरकाशी, पिन-249185, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, पुरोला
38	श्री खुशपील सिंह	इतिहास	ग्राम-सिमलसारी, पो0ऑ0-कफनोल, ब्लॉक-नौगाँव, थाना-पुरोला, तहसील-बड़कोट, जिला-उत्तरकाशी-249171	राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़
39	श्री अनिल कुमार	इतिहास	म.नं.-342-डी, एम0डी0डी0ए0, डालनवाला, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी
40	श्रीमती आशा आर्या	इतिहास	श्रीमती आशा आर्या पुत्री श्री रामलाल आर्या, ग्राम-मनेला, पो0ऑ0-मनेला, गंगास, तहसील-द्वाराहाट, जिला-अल्मोड़ा, पिन-263645, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
41	श्री संजीव कुमार	इतिहास	ग्राम-बन्दाखेड़ी, पो-इकबालपुर, तहसील-रुडकी, जिला-हरिद्वार, पिन कोड-247668, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, उफरैखाल
42	श्रीमती सुमन	इतिहास	म.नं.-259, शक्तिनगर, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल

2- वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश/प्रदेश में उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति के कारण इस समय उक्त चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी को तैनाती के समय इस आशय का प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

6- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वरथ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को

उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

8- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक, योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित।
 - (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
 - (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रातिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
 - (5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
- 9- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्दर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

10- उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनि्युक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

11- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनि्युक्त कर्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

12- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

14- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हों, तो वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत किये गये लॉकडाउन खुलने के पश्चात् ही तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा

जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

15- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

16- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की संगत धाराओं से आच्छादित होगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 407 (I)/XXIV-C-4/2020-01(01)/2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त वयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एम०आइ०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

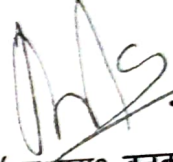

(एम०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

P.T.O.

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ०सं० : डिग्री सेवा / 714 / 2020-21 दिनांक : 23 मई, 2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी- द्वारा-सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के पृष्ठोंकन बिन्दु 7 का अवलोकन करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करायें।
3. सँगणक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली। / सम्बन्धित अध्यक्षी


डॉ०(एन०एस० बनकोटी)

उप निदेशक,
कृते निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV(4)/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2020

संशोधन/विज्ञापित

शासन के नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-407/XXIV(4)/2019-01(01) TC, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (वैतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10) के पद पर विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत 42 अभ्यर्थियों की नव नियुक्ति/तैनाती की गयी है।

2- अवगत कराना है कि कु० आशा आर्या, ग्राम-मनेला, पो.ओ.-मनेला, जिला-अल्मोड़ा द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 09.07.2020 के माध्यम से सम्बन्धित संगत जिले के उपलब्ध कराते हुए अपना नाम श्रीमती आशा आर्या के स्थान पर कु० आशा आर्या के अनुरोध किया गया है।

3- अतएव कु० आशा आर्या के उक्त अनुरोध-पत्र दिनांक 09.07.2020 के क्रम में शासन के उक्त नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-407, दिनांक 22 मई, 2020 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक संख्या-40 में अंकित 'श्रीमती आशा आर्या' के स्थान पर 'कु० आशा आर्या' पढ़ा/संशोधित समझा जाय।

4- शासन के उपर्युक्त नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-407/XXIV(4)/2019-01(01) 2019 TC, दिनांक 22 मई, 2020 की अन्य समस्त शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

(एन०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-558 (1)/XXIV(4)/2020-01(01)2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(एन०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पृ०स०- डिग्री सेवा-1/ 2107

/2020-21.

दिनांक 22-07-2020

प्रतिलिपि: प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, काण्डा (बागेश्वर) को शासन के उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या: 307/XXIV(4)/2016-1(44)/2016
देहरादून : दिनांक 30 दिसम्बर, 2016
कार्यालय ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1298/XXX(2)/2013-3(1)/2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 (विनियमितीकरण नियमावली, 2013) एवं अधिसूचना संख्या-337/XXX(2)/2016/03(01)/2016, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत विनियमितीकरण (संशोधित) नियमावली, 2016 में विहित व्यवस्थानुसार निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक-डिग्री सेवा/संविदा/14280/2016-17, दिनांक 23.12.2016, पत्रांक-डिग्री सेवा/संविदा/14737/2016-17, दिनांक 30.12.2016 एवं पत्रांक-डिग्री सेवा/संविदा/14737D/2016-17, दिनांक 30.12.2016 द्वारा विभागीय स्कूटनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुक्रम में विनियमितीकरण नियमावली, 2016 में विनियमितीकरण हेतु निर्धारित शर्तों/मापदण्डों में विनियमितीकरण की पात्रता से आच्छादित होने वाले प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात वर्ष 2010 के निम्नलिखित कुल 175 संविदा शिक्षकों/प्रवक्ताओं को शिथिलीकरण प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से अरिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) वेतनमान रु0 15600-39100, ग्रेड वेतन रु0 6000/- में विनियमित कर मौलिक/नियमित नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	विषय
1	2	3	4
1.	डॉ० नवीन कुमार महाजन	श्री नरेन्द्र महान महाजन	बी०सी०ए०
2.	डॉ० अरविन्द गट्ट	श्री प्रसाद दत्त गट्ट	भूगर्भ विज्ञान
3.	डॉ० पंकज प्रियदर्शी	श्री स्वप्न लाल	इतिहास
4.	डा० सन्तोष कुमार	श्री कमलापाणि	इतिहास
5.	डॉ० दुष्मन्त कुमार निरञ्जल	श्री गैंगूजी राम	इतिहास
6.	डॉ० अनुराग	श्री रामजलन मिश्रा	इतिहास
7.	डॉ० आशुतोष विक्रम	श्री रमेश चन्द्र सिंह	इतिहास
8.	डॉ० अनिल कुमार	श्री राज नाथ	इतिहास
9.	डॉ० प्रभाकर त्यागी	श्री भीम देव त्यागी	इतिहास
10.	डॉ० सुनीता चौधरी	श्री मुरलीधर चौधरी	बी०ए०ड०
11.	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार	श्री रामखेलचन्द	बी०ए०ड०
12.	डॉ० अरुण कुमार चतुर्वेदी	श्री विद्याचल चतुर्वेदी	बी०ए०ड०
13.	डॉ० धर्मवीर सिंह	श्री राम लाल	बी०ए०ड०
14.	डॉ० जगदीश सिंह	श्री लाल सिंह	शारीरिक शिक्षा
15.	डॉ० अर्चना रानी	श्री ओम प्रकाश	हिन्दी
16.	डॉ० भावना जोशी	स्व० श्री शिव दत्त जोशी	हिन्दी
17.	डा० प्रभा साह	श्री आर०एन० साह	हिन्दी
18.	डॉ० कपिलदेव थपलियाल	श्री मनीराम थपलियाल	हिन्दी
19.	डॉ० गजेन्द्र सिंह	श्री ब्रह्मपाल सिंह	हिन्दी
20.	डॉ० यमुना प्रसाद स्तूडी	श्री रामा नन्द स्तूडी	हिन्दी
21.	डॉ० राजविन्दर कौर	श्री सुरेन्द्र सिंह	हिन्दी
22.	डॉ० विक्रम सिंह	श्री देव सिंह	हिन्दी
23.	डॉ० भावना मेहरा	श्री गोपाल सिंह	हिन्दी
24.	डॉ० मेहा पालनी	श्री हरिओम पालनी	हिन्दी
25.	डॉ० मंजू गौतम	श्री सकेल चन्द	हिन्दी

प्रस्ताव :- 2

26.	डॉ० सुभाष कुमार	श्री तारे सिंह	हिन्दी
27.	डॉ० आलोक कुमार सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	हिन्दी
28.	कु० निधि छावडा	श्री नरेश कुमार छावडा	हिन्दी
29.	डॉ० हेमलता खाती	श्री उत्तम सिंह गडिया	शिक्षाशास्त्र
30.	डॉ० रोहित कुमार काण्डपाल	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल	शिक्षाशास्त्र
31.	डॉ० गिरंजन कुमार प्रजापति	श्री रामशब्द	शिक्षाशास्त्र
32.	डॉ० विपिन चन्द्र नौटियाल	स्व० श्री जगन्नाथ प्रसाद	विधि
33.	डॉ० दिनेश कुमार शर्मा	श्री राम प्रसाद शर्मा	विधि
34.	डॉ० कुर्वर सिंह	श्री गोविन्द सिंह	भौतिक विज्ञान
35.	डॉ० गणेश प्रसाद	श्री गिरीश प्रसाद	भौतिक विज्ञान
36.	डॉ० नवल किशोर लोहनी	स्व० श्री पूरन चन्द लोहनी	भौतिक विज्ञान
37.	डॉ० गुरुपद सिंह गुसाई	श्री मात्तान्त सिंह गुसाई	भौतिक विज्ञान
38.	डॉ० सुभाष चन्द	श्री गीता राम पोखरियाल	भौतिक विज्ञान
39.	डॉ० दिनेश चन्द्र सती	श्री जयानन्द सती	भौतिक विज्ञान
40.	डॉ० श्यामेन्द्र प्रताप सिंह	श्री हरिश्चंकर सिंह	भौतिक विज्ञान
41.	डॉ० आदर्श कुमार चौधरी	श्री रघुनाथ चौधरी	भौतिक विज्ञान
42.	डॉ० ममता मिश्रा	श्री हरीश चन्द्र उम्रेती	भूगोल
43.	डॉ० रेखा पाण्डे	स्व० श्री नन्द बिहारी पन्त	भूगोल
44.	डॉ० चन्द्र प्रकाश वर्मा	श्री चन्द्र मोहन वर्मा	भूगोल
45.	डॉ० मंजू भण्डारी	श्री बलचन्त सिंह भण्डारी	भूगोल
46.	डॉ० भीमाक्षी वर्मा	श्री देवकी नन्दन वर्मा	भूगोल
47.	डॉ० गिरन लता पाण्डे	श्री गोपाल कृष्ण त्रिपाठी	भूगोल
48.	डॉ० जयान सिंह रावत	श्री पदम सिंह रावत	भूगोल
49.	डॉ० अर्चना	श्री पूरन लाल	भूगोल
50.	डॉ० पुष्पा पन्त जोशी	श्री सी०एस०पन्त	भूगोल
51.	डॉ० सुमन पाण्डे	श्री पूरन चन्द्र उम्रेती	भूगोल
52.	डॉ० विजय राज उनियाल	श्री श्याम लाल उनियाल	भूगोल
53.	डॉ० जयेंद्र सिंह सजवाण	श्री गवर सिंह सजवाण	भूगोल
54.	कु० जगदीश	श्री धर्म सिंह	भूगोल
55.	डॉ० सचिन रस्तोगी	श्री बरान्त राय रस्तोगी	राजनीति विज्ञान
56.	डॉ० नगेन्द्रपाल	श्री रामकेश	राजनीति विज्ञान
57.	डॉ० गुरेन्द्र सिंह	श्री जानीर सिंह	राजनीति विज्ञान
58.	डॉ० मंजू आर्या	श्री चन्दन लाल	राजनीति विज्ञान
59.	डॉ० राजकुमारी भण्डारी	श्री एस०एस० भण्डारी	राजनीति विज्ञान
60.	डॉ० अभित कुमार गुप्ता	श्री कालीचरण गुप्ता	राजनीति विज्ञान
61.	डॉ० आविदा	श्री सुलेमान अली	राजनीति विज्ञान
62.	डॉ० जितेन्द्र प्रकाश त्यागी	श्री कलवारु राम	राजनीति विज्ञान
63.	डॉ० अनुपम त्यागी	श्री जगेश्वर पद्मल त्यागी	राजनीति विज्ञान
64.	डॉ० नगीन कुमार	श्री सुशील कुमार	राजनीति विज्ञान
65.	डॉ० धीरज सिंह खाती	श्री पुष्कर सिंह खाती	राजनीति विज्ञान
66.	डॉ० रुधिर जोशी	श्री कृष्ण चन्द्र जोशी	राजनीति विज्ञान
67.	डॉ० सत्यनन्दन भगत	श्री एस०एस० भगत	राजनीति विज्ञान
68.	डॉ० रूप किशोर द्विवेदी	श्री कृष्ण किशोर द्विवेदी	राजनीति विज्ञान
69.	डॉ० शिव प्रकाश राय	श्री हृदय नारायण राय	राजनीति विज्ञान
70.	डॉ० सत्येन्द्र कुमार पाण्डे	श्री शीतल प्रसाद पाण्डे	राजनीति विज्ञान
71.	डॉ० कविता पाठक	श्री प्रमोद शंकर पाठक	राजनीति विज्ञान
72.	डॉ० आनन्दानन्द त्रिपाठी	स्व० श्री लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी	राजनीति विज्ञान
73.	डॉ० सुरेखा घिल्डियाल	श्री सी०सी० छपूरी	समाजशास्त्र
74.	डॉ० सत्यमित्र सिंह	श्री सत्येन्द्र सिंह	समाजशास्त्र

172.	डॉ० रितु सिंह	श्री आर०एस० मेर	रसायन विज्ञान
173.	डॉ० ममता बेलवाल	श्री हरीश चन्द्र बेलवाल	रसायन विज्ञान
174.	डॉ० प्रमोद कोठारी	श्री कृपाल दत्त कोठारी	रसायन विज्ञान
175.	डॉ० सारिता चौहान	श्री नानू राम	गृह विज्ञान

2- उपरोक्तानुसार विनियमित तदर्थ/अंशकालिक/संविदा प्रवक्ताओं को पूर्व में उनके द्वारा की गयी सेवाओं का लाभ, कैरियर एडवान्समेंट योजना तथा सेवानिवृत्तिक लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण हेतु अनुमन्य नहीं होगा। विनियमित होने वाले सम्बन्धित प्रवक्ताओं को समस्त सेवा लाभ विनियमितीकरण की तिथि से देय होंगे तथा विनियमितीकरण के पश्चात् इनकी ज्येष्ठता कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1298/XXX(2)/2013-3(1)/2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 की व्यवस्थानुसार पृथक से निर्धारित की जायेगी।

3- प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा विभागीय स्तर पर गठित स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जा रहा है। यदि किसी संविदा शिक्षक के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या-1298, दिनांक 30.12.2013 के विपरीत कोई तथ्य संज्ञान में आता है, तो इसका सगरत उत्तरदायित्व विभागीय स्क्रूटनी कमेटी एवं निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा। अतः निदेशक, उच्च शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त संविदा शिक्षकों के अभिलेखों का भली-भाँति परीक्षण करने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4- उपरोक्त प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण इस प्रतिबंध के अधीन होगा कि सम्बन्धित कार्मिकों की अनुपस्थित अवधि/सेवा में व्ययधान को सम्बन्धित कार्मिक को भविष्य में प्राप्त होने वाले उपाजित अवकाश में से प्रत्येक वर्ष 50% समायोजित किया जायेगा।

5- उक्त प्रवक्ताओं की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तैनाती आदेश निर्गत होने तक उक्त प्रवक्ता अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव

संख्या : 807 (1)/XXIV(4)/2016-1(44)/2016, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
7. संबन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. संबन्धित प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

डिप्टी केव

22/5/2020

उत्तराखण्ड शारान
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 22-मई, 2020

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	निहारिका सिंह बिष्ट	जन्तु विज्ञान	निहारिका बिष्ट पुत्री श्री बी0एस0 बिष्ट, लोहरियासाल मल्ला, नवाड़, पो0-कठघरिया, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत
2	मीना कुमारी	जन्तु विज्ञान	ग्राम-बटोली, पो0-कोयाटी (लोहाघाट), जिला-चम्पावत (उत्तराखण्ड), पिन कोड-262524	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणनगर
3	अंचला नौटियाल	जन्तु विज्ञान	श्रीमती अंचला नौटियाल पुत्री श्री शान्ति स्वरूप नौटियाल, लेन नं0-6ए, गणेश विहार निकट कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी
4	शर्मिष्ठा	जन्तु विज्ञान	ग.नं.-6/851, वार्ड नं.-6, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट
5	प्रवीन	जन्तु विज्ञान	जन्तु विज्ञान विभाग, आईएचएल, बीपीएसएमवी, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा, पिन-131305	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
6	अपूर्वा जोशी	जन्तु विज्ञान	गोविन्दपुरम बितौरिया नं0-1, नियर, नारायण नगर, इण्टर कॉलेज, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, पिन-263139, जिला-नैनीताल।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
7	प्रियंका मीरवाल	जन्तु विज्ञान	जी-136, अम्बेडकर नगर, अलबर (राजस्थान)-301001	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग
8	प्राची टम्टा	जन्तु विज्ञान	श्रीमती प्राची टम्टा द्वारा एम.एल. आर्य, गणेश कल्या फैंक्ट्री के पास दैवलचौड़, ग्राम व पो0-मानपुर पश्चिम, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर

4

अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।

(3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।

(4) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।

(5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

10- उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

11- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

12- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

14- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत किये गये लॉकडाउन खुलने के पश्चात् ही तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

15- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं हैं, उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

16- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की संगत धाराओं से आच्छादित होगी।

17- उक्त नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर/लम्बित रिट याचिका संख्या-23(एस0बी0)/2020 उर्वशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-31(एस0बी0)/2020 राकेश मट्टू बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होंगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

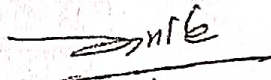
पृष्ठांकन संख्या-4/10 (1)/XXIV-C-4/2020-01(01)/2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।

41

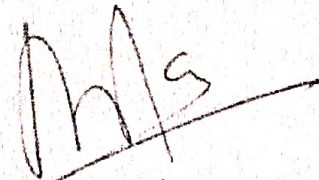
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध कराये।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल / सम्बन्धित पत्रावली।


 (एम0एम0 सेमवाल)
 संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0 : डिग्री सेवा / 720 / 2020-21 दिनांक : 23 मई. 2020
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी- द्वारा-सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के पृष्ठॉकन बिन्दु 7 का अवलोकन करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना से निदेशालय को भी अवगत कराये।
3. सँगणक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।


 डॉ0(एन0एस0 बनकोटी)
 उप निदेशक,
 कृते निदेशक, उच्च शिक्षा,
 उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

0/0

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

संख्या-2210/XXIV(7)/2014-24(1)12TC

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

नियुक्ति/विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमानुसार चयनोपरान्त प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) निम्न तालिका में उल्लिखित है। अधोवर्णित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) (वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 6000.00) के पद पर अस्थायी/औपबन्धिक आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	2	3	4	5
1	डॉ० राम भरोसे	हिन्दी	मकान नं० 183/iii/सैक्टर 5 बी०एच०ई०एल० रानीपुर हरिद्वार।	रा०महा०, पोखरी पट्टी कवीली
2	नताशा	वाणिज्य	202/163 ओल्ड डालनवाला, देहरादून	रा०महा०, नरेन्द्रनगर
3	रीना सिंह	शिक्षाशास्त्र	पुत्री श्री जे०एस० सिंह, 16/5/1ए, अबुबकरपुर, नियर फजलहाउस, धूमनगंज, इलाहाबाद	रा०महा० मासी
4	रीमा आर्य	भूगोल	स्टोनले कम्पाउण्ड, नैन बिहार, तल्लीताल, नैनीताल।	रा०महा० जैती
5	अनिल कुमार सैनी	समाजशास्त्र	श्री श्यामवीर सिंह, ग्राम-कुशावली, तहसील-सरधना, जिला जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश 250342	रा०महा० गोपेश्वर
6	आशीष अंशु	समाजशास्त्र	आशीष अंशु द्वारा अरुण कुमार, कमरा नं०-36 सरदार बल्लभ भाई पटेल हास्टल, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी 221005	रा०महा० गणेश गंगोली
7	दिनेश कुमार गुप्ता	अर्थशास्त्र	श्री दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा डॉ० एस०एन० लाल, शिवा निलय, 5 जी, अलोपीबाग रोड, इलाहाबाद, 211006	रा०महा० बनवसा
8	विमला देवी	इतिहास	राजकीय कन्या इण्टर कालेज परिसर, बाजपुर, ऊधमसिंहनगर 262401	रा०स्ना०महा० लोहाघाट
9	उदय कुमार	इतिहास	द्वारा-कन्हैया लाल, ग्राम-दिया, पोस्ट-विरिया मझौला, त०-खटीमा, जिला-ऊधमसिंह नगर 262308	रा०स्ना०महा० सोमेश्वर
10	राजेश कुमार	इतिहास	राजेश कुमार पुत्र श्री मूरत राम, ग्राम ब पोस्ट-बहेरी, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	रा०महा० लूनी

क्रमशः

2/-

11	मोहन चन्द्र आर्य	इतिहास	ग्राम नैनी, नगरी गाव, पो0ओ0 भवाली, नैनीताल, उत्तराखण्ड	रा0महा0 कपड़ोटी
12	अनीता नेगी	इतिहास	द्वारा श्री मोहन सिंह बिष्ट, नारायण निवास, मल्ली बाजार, भवाली, पो0ओ0 भवाली, नैनीताल 263132	रा0महा0 सितारबाज
13	पुष्पा कुमारी	गृह विज्ञान	54-एल0आई0जी0 एम0डी0डी0ए0 कालोनी, डालनवाला, देहरादून 248001	रा0महा0 गोपेश्वर
14	आकाश चन्द्र मिश्र	जन्तु विज्ञान	58ई/12ई/आई जी, सरकुलर रोड नेवादा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211001	रा0महा0 उत्तरकाशी
15	विपिन चन्द्र पाठक	जन्तु विज्ञान	द्वारा श्रीमती उषा दुबे, 525/96 ओल्ड महानगर, लखनऊ-226008	रा0रना0महा0 पिथौरागढ़
16	शैलजा नेगी	जन्तु विज्ञान	फ्लैट सं0 588, डी0डी0ए0 एस0एफ0एस0 फ्लैट, सैक्टर-22 द्वारिका, नई दिल्ली-110075	रा0महा0 नरेन्द्रनगर
17	डॉ0 विवेक कुमार केडिया	वनस्पति	ग्राम पो0ओ0 घोरावल, जिला सोनभद्र उ0प्र0 231210	रा0महा0 तलवाड़ी
18	राकेश कुमार द्विवेदी	वनस्पति	422/221 महेशपुरी, जनरैलगंज, बालागंज, लखनऊ 226003	रा0स्ना0महा0 जयहरीखाल
19	दीप चन्द्र मिश्रा	गणित	ग्राम पो0 सिखर, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	रा0महा0 तलवाड़ी
20	सुशील कुमार	गणित	सुशील कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाश नारायण, ग्राम/पो0 सुल्तानपुर, तहसील मछलीशहर, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश	राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ
21	ऋचा थपलियाल	गणित	महेश्वरी सदन, सिताबपुर, देवी रोड कोटद्वार गढ़वाल	रा0स्ना0महा0 अगस्त्यमुनि
22	कु0 योगिता बाना	गणित	द्वारा श्री महिपाल सिंह चौधरी, नगर पालिका स्कूल नं0 04 के सामने कालाबढ़ (जौनपुर) कोटद्वार	रा0स्ना0महा0 कोटद्वार
23	हेमलता पाण्डे	गणित	रमेश चन्द्र पाण्डे, मु0 पनिआ उडियार अल्मोड़ा 263601	रा0महा0 बागेश्वर
24	इमरान अली	गणित	श्री अली जान, ग्राम बिनारसी, ग्राम चुड़ियाला, जनपद हरिद्वार 247661	रा0स्ना0महा0 गोपेश्वर
25	प्रकाश चन्द्र मठवाल	गणित	श्री माधवानंद मठवाल, पंचवकी दमुवाडुंगा हल्द्वानी 263139	रा0महा0 बेरीनाग
26	पवन टम्टा	गणित	श्री रमेश लाल टम्टा, नरसिंह बाड़ी, निकट रामकृष्णधाम, अल्मोड़ा	रा0महा0 मानिला
27	रुबी तब्युसम	इतिहास	रुबी तब्युसम पत्नी श्री मुख्तार मोहसिन (आई0पी0एस0) टाईप-5 मकान नं0-3 पुलिस अधिकारी कालोनी, थाना बसन्त बिहार, पोस्ट मेहुवाला, देहरादून।	रा0स्ना0महा0 ऋषिकेश

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को किन्ती समय समाप्त किया जा सकता है।

3- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें सम्बन्धित पद के सम्बन्ध में यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को नव नियुक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- इस नियुक्ति के कम में तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश निर्गत होने की एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्न प्रमाण-पत्रों के साथ तैनाती महाविद्यालय प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा:-

(1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।

(2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

(3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

(4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारात हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।

(5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा:-

(1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्डर टेकिंग कि उनके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।

(3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।

(4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।

(5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9- उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1990 के नियम-20(1) अनुसार नवनियुक्ति अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

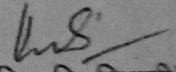
10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 21/XXVII(7)/अपेयो/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्ति कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जांच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।


(निधि मणि त्रिपाठी)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- (1)/XXIV(7)/2014-24(1)12TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
3. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से कि आदेश निर्गत होने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित प्रवक्ताओं की योगदान सूचना तथा योगदान न किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

क्रमशः5/



7. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कुलम्ब अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली भाँति जांच भी कर लें। साथ ही उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अथवा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करावेंगे।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2020
नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान (कार्बनिक)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	श्री विनोद कुमार	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	मार्फत गंगा पाण्डे, नरसिंहवाड़ी, ऑफिसर कॉलोनी के पीछे, अल्मोडा, पिन कोड-263601, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी
2	श्री महेश चन्द्र विश्वकर्मा	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	रसायन विज्ञान विभाग, एल0एस0एम0 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, पिन कोड-262502, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
3	सुश्री अनीता खर्कवाल	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	फ्लैट न0-23, वसुंधरा अपार्टमेंट निकट स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी सेक्टर-9, दिल्ली-110085	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग
4	सुश्री प्रीति रावत	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	प्रीति रावत, ए-2, नैनी विहार, मल्लीताल, नैनीताल, पिन कोड-263001, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा (बागेश्वर)
5	श्री नवीन सिंह रावत	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	डी-242 बी, लाजपत नगर, शाहिबाबाद, गाजियाबाद, पिन कोड-201005, उत्तर प्रदेश।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी
6	श्री कलाश सिंह रावत	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम व पो0-बोडी, जिला-बागेश्वर, पिन कोड-263628, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी
7	सुश्री चन्द्रकला नेगी	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	मार्फत भूपाल सिंह रावत, ग्राम-चीड़वाली, कण्डोली, राजपुर रोड, देहरादून, पिन कोड-248001, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि
8	श्री बालम सिंह बिष्ट	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	रटाफ हाऊस कम्पाउण्ड, स्नोव्यू वार्ड, मल्लीताल, नैनीताल, पिन कोड-263002, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग (पिथौरागढ़)
9	श्री अजय वर्मा	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	म0नं0-58, तल्ली बमौरी, वार्ड नं0-3, मुखानी, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, पिन कोड-263139, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी (देहरादून)

10	श्री दर्शन सिंह	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम-शिरौना (मोटा फागी), पो-सितारगंज, जिला-उधमसिंहनगर, पिन कोड- 262405, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)
11	श्री जितेन्द्र दिवाकर	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	स्टाफ हाऊस कम्पाउण्ड नं०-7, हाऊस नं०-134, मल्लीताल, नैनीताल, पिन कोड-263001, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चकराता, देहरादून
12	श्री रमेश चन्द्र	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	मार्फत श्री गीताराम शर्मा, वरिष्ठ फार्मासिस्ट, लाल बहादुर शास्त्री, प्रशासनिक अकादमी मसूरी, पिन कोड-248179, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, अमराड़ा (टिहरी गढ़वाल)
13	सुश्री रजनी लस्याल	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	मार्फत श्री एच.आर. चमोली, साई मंदिर के सामने, 20 फीट रोड, खेरी खुर्द, श्यामपुर, पो-एस.एन. मंदिर, ऋषिकेश, देहरादून, पिन कोड-249204, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीखंड (उत्तरकाशी)
14	श्री भूपाल सिंह कार्की	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम-बसौर, पो-कालिका, जिला-पिथौरागढ़, पिन कोड-262576, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, पुरोला (उत्तरकाशी)
15	सुश्री देवजनी अधिकारी	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	निकट टैक्सी स्टैंड, चिलियानौला, पो-चिलियानौला (रानीखेत) हैड़ाखान मार्ग, जिला-अल्मोड़ा, पिन कोड-263647, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
16	श्री साविर हुसैन	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	साविर हुसैन मार्फत श्री फैयाज हुसैन, मोहल्ला, जुलाहान, मेन ईदगाह रोड, जसपुर, जनपद-उधमसिंहनगर।	राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल (अल्मोड़ा)
17	सुश्री मंजुल गौड़वाल	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	मोनो-646/2, सैनिक कॉलोनी, रुड़की, जिला-हरिद्वार, पिन कोड-247667, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
18	श्री कमलेश चन्द्र लोहनी	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम-गोपालबाड़ा, पो-रथी, तहसील-मुनरयारी, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)
19	सुश्री सरिता कालाकोटी	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	पत्नी श्री अनूप कुमार विश्वकर्मा, जोशीखोला (दागड़), राजपुर अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा, पिन कोड-263601, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़
20	श्री भगवत गिरी गोरवामी	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	भगवत गिरी गोरवामी पुत्र श्री प्रेम गिरी गोरवामी, दुगालखोला, अल्मोड़ा निकट, पिन-263601, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल (गढ़वाल)
21	श्री शंकर राम	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम - व पो-पवलगढ़, तहसील-कालादुर्गी, जिला-नैनीताल, पिन कोड-263140, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, तलमोड़ा (चमोली)
22	श्री कैलाश टम्टा	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम-गुरना, पो-दोलाघाट, तहसील व जिला-अल्मोड़ा, पिन कोड- 263655, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा (बागेश्वर)
23	श्री मानु प्रताप सिंह गौतम	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	264, शुगर मिल रोड, वैशाली कॉलोनी, पो-काशीपुर, जिला- उधमसिंहनगर, पिन कोड-244713, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़

24	सुश्री सोनिया रानी	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	हाऊस नं०-11, गली नं०-2, कृष्णा नगर, रुडकी, जिला-हरिद्वार, पिन कोड-247667, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यगुनि (रुद्रप्रयाग)
25	श्री प्रकाश चन्द्र	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	निकट सिंचाई विभाग, विलियामोला, तहसील-रानीखेत, जिला-अल्मोडा, पिन कोड-263647, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)
26	श्री दुर्गा प्रसाद	रसायन विज्ञान (कार्बनिक)	ग्राम व पो-वासो, तहसील-भिव्यारौण, जिला-अल्मोडा, पिन कोड-263680, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापनगर लखगाँव (टिहरी गढ़वाल)

असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	सुश्री साक्षी शुक्ला	रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)	अ-94, आवास विकास कॉलोनी, सीतापुर, पिन कोड-261001, उत्तर प्रदेश।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी
2	श्री राहुल तिवारी	रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)	मार्फत श्री सुरेश तिवारी, पाण्डेगाँव, जी०आई०सी० रोड, विवेकानन्द कॉलोनी, पिथौरागढ़, पिन कोड-262501, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ (चमोली)
3	श्री योगेश कुमार	रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)	म.नं.-157A, निकट एम.सी. प्राईमरी स्कूल, फिरनीवाला रोड, बकोली, दिल्ली-110036	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)
4	श्री निखिल कुमार सिंह	रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)	निखिल कुमार, मार्फत प्रो० डी०एस० पाण्डे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इस्टीमेट ऑफ साइंस, बी.एच.यू. वाराणसी-221005, उ०प्र०।	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग
5	श्री चन्द्र सुत हरिओम	रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)	ग्राम-फागपुर, पो०-चन्दनी, जिला-चम्पावत, पिन कोड-262310, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागनाथ पोखरी (चमोली)
6	सुश्री चन्द्र कला सिंह	रसायन विज्ञान (अकार्बनिक)	रसायन विज्ञान विभाग, एल०एस०एम०, राज० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, पिन कोड-262502, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्दर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) औथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9- उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने

भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

15- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13(2) से आच्छादित होगी।

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

पुष्ठांकन संख्या- 233 (1)/XXIV-C-4/2020-01(01)/2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

21/12
(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV(4)/2019-01(01)2019
देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2019

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमानुसार चयनोपरान्त प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है। अधोवर्णित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक पन्त	भूगर्भ विज्ञान	अर्जुन एनक्लेव (beyond Alakanda Enclave) जीएमएस रोड, ए-201, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
2	श्री दीपक कुमार दयाल	भूगर्भ विज्ञान	मकान नं०-AE-10, टॉस कॉलोनी, निकट सेंट मेरी स्कूल, डाकपत्थर, देहरादून।	कुमार्युं केसरी पं० बट्टीदत्त पाण्डे राजकीय महाविद्यालय, कांडा, जनपद-बागेश्वर।
3	श्रीमती गुंजन आर्य	भूगर्भ विज्ञान	श्रीमती गुंजन आर्य मार्फत राजेन्द्र प्रसाद, मं० नं०-155, धौलखंडा, खटीक फॉर्म निकट राणा बैंकट हॉल, पो० ऑ०-अर्जुनपुर, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड), 263139	राजकीय महाविद्यालय, कपकोट, जनपद-बागेश्वर।
4	श्री सुनील दत्त	भूगर्भ विज्ञान	श्री सुनील दत्त पुत्र श्री सिद्धिलाल, नर्सरी रोड, श्रीनगर गढ़वाल, निकट त्रिवारी मोहल्ला चौराहा, जिला-पौड़ी गढ़वाल।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी।

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-7
संख्या-2392/XXIV(7)/2014-24(1)12TC
देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2014

नियुक्ति/विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमानुसार चयनोपरान्त प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) निम्न तालिका में उल्लिखित है। अधोवर्णित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) (वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड वेतन रु० 6000.00) के पद पर अस्थायी/औपबन्धिक आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती महाविद्यालय का नाम
1	सुनीता	हिन्दी	नवीन केदारपुर कालोनी फेज 01 आवास संख्या-42 टाईप-3 देहरादून	राज०स्ना०महा० चकराता
2	पार्वती	हिन्दी	द्वारा श्री हरक राम नियर टीचर्स कालोनी अपर नैगवाड गोपेश्वर-चमोली	राज०स्ना०महा०बेरीनाग (पिथौरागढ़)
3	रूपा आर्य	हिन्दी	पुत्री श्री मदन राम ग्राम-पो० बाड़ीछीना अल्मोड़ा	राज०स्ना०महा०रानीखेत-अल्मोड़ा
4	ललित मोहन	हिन्दी	वैवरली काटेज मल्लीता-नैनीताल	राज०महा० बागेश्वर
5	संजय कुमार	राजनीतिशास्त्र	संजय दिवाकर प्रवक्ता अंग्रेजी रा०इ०का० बेतालघाट	राज०महा०तलवाड़ी-चमोली
6	नेहा कीर्ति प्रसाद	राजनीतिशास्त्र	न्यू हाउस पिटरीया मल्लीताल नैनीताल	राज०महा०जैती-अल्मोड़ा
7	अशोक कुमार	राजनीतिशास्त्र	पुत्र स्व० श्री देवी राम आर्य, मकान नं० 361 मार्शल काटेज, निकट हनुमान मन्दिर स्टाफ हाउस कम्पाउण्ड, मल्लीताल नैनीताल	राज०महा०गैरसैंण-चमोली
8	दिनेश कुमार	राजनीतिशास्त्र	ग्राम-भूड पो०आ० लांघा डाकपत्थर देहरादून	राज०महा०नागनाथ-पोखरी -चमोली
9	अर्चना पांगती	राजनीतिशास्त्र	एस०एस धप्पाल, विनायक आशीष, नन्दादेवी कालोनी श्यामपुर, गुमानीवाला ऋषिकेश, देहरादून	राज०महा०मनीला-अल्मोड़ा।
10	विनीता कोहली	राजनीतिशास्त्र	पुत्री श्री गणेश लाल कोहली, कम्पनी कमाण्डर द्वारा पी०वाहिनी पी०ए०सी० हरिद्वार	राज०महा० उत्तरकाशी
11	गौरव जोशी	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	पुत्र श्री डी०पी० जोशी, ग्राम जाजरदेवल पिथौरागढ़	रा०महा०रुद्रप्रयाग
12	दिनेश जोशी	वाणिज्य	कुजौली मार्ग पाण्डे गॉव पिथौरागढ़	रा०महा०काण्डा बागेश्वर
13	डा०वलदेव राम	वाणिज्य	द्वारा श्री कमल राय पो०लोहाघाट डाक बंगला रोड लोहाघाट (चम्पावत)	राज०स्ना०महा०उत्तरकाशी

② सेक्टर-1.
10-7-70

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC

देहरादून : दिनांक 09 जुलाई, 2020

संशोधन/विज्ञप्ति

शासन के नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-408/XXIV-C-4/2020-01(01)2019 TC, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर-भौतिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों की विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति/तैनाती की गयी है। इसके उपरान्त शासनादेश (संशोधन/विज्ञप्ति) संख्या-515/XXIV-C-4/2020-01(01)2019 TC, दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों की तैनाती संशोधन सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के उक्त नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-411, दिनांक 22 मई, 2020 में इंगित तालिका के क्रमांक-8 तथा संशोधन/विज्ञप्ति आदेश संख्या-515, दिनांक 01 जुलाई, 2020 में इंगित तालिका के क्रमांक-2 व 8 में अंकित अभ्यर्थियों की तैनाती में निम्न कॉलम-6 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय	संशोधित/नवीन तैनाती महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री स्नेह जोशी	भौतिक विज्ञान	3/20 आदर्श नगर, पीली कोठी, कम्पाउण्ड, हल्द्वानी, पिन कोड -263139	राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा
2	सुश्री गीता वृथवाल	भौतिक विज्ञान	ग्राम व पो-0-खाँकर, तहसील -काफलीगैर, जिला-बागेश्वर।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग	राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर
3	सुश्री नीतू पाण्डे	भौतिक विज्ञान	ए-503, भवानी, अपार्टमेंट, सैक्टर-54, गुडगाँव, हरियाणा, पिन-122002	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा	राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी

3- शासन के उपर्युक्त नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-408/XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC, दिनांक 22 मई, 2020 तथा संशोधन/विज्ञप्ति आदेश संख्या-515/XXIV-C-4/2020-01(01)2019 TC, दिनांक 01 जुलाई, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसकी अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व तैनाती मण्डलानुसार स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करा ली गयी हो, उन्हें नये मण्डल में तैनातीनुसार पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(डॉ० अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 554 (1)/XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।

मुख्य अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

दिनांक 18/8/2020

कार्यालय को 65660113F00718

लेख I

01

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- XXIV(4)/2019-01(01)2019TC

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2019

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	2	3	4	5
1	सुश्री भारती	गणित	मकान नं०-01/111, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान फार्म, मन्सा देवी मंदिर के पास पंचकुला, हरियाणा, पिनकोड-134114	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, (बागेश्वर)।
2	श्री जितेन्द्र सिंह	गणित	106/3/M, सैनिक नगर, हरजिंदर नगर, कानपुर-208007, उत्तर प्रदेश।	राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट, (पिथौरागढ़)।
3	सुश्री सीमा नेगी	गणित	वार्डन नं०-01, पम्पापुरी, रामनगर, नैनीताल, पिन-244715, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)।
4	श्री राकेश पाण्डेय	गणित	162-A, पंडितवाड़ी फेस-2, भूरगाँव, देहरादून, पिन-248007, उत्तराखण्ड।	हुकुम सिंह बोहरा राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर (अल्मोड़ा)।
5	सुश्री माधुरी कोहली	गणित	110-पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून, पिन-248001, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)।
6	श्री हरि ओम	गणित	गाँव करनेरा, तहसील बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ (चमोली)।
7	श्री दिनेश चन्द्र	गणित	ग्राम खदरी श्यामपुर, बलजीत फार्म, पो०-सत्यनारायण मंदिर, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, पिन-249204, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चिन्वालीसौंड (उत्तरकाशी)।
8	सुश्री स्वाति बिष्ट	गणित	हाईडल गेट के पीछे, जवाहर ज्योति, बेरीखत्ता, पो०- काठगोदाम, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, (चमोली)।
10	श्री बिपेन्द्र सिंह	गणित	श्री बीपेन्द्र सिंह रावत, गणित विभाग, रा०स्ना०महाविद्यालय, उत्तरकाशी-249193	राजकीय महाविद्यालय, थलीकेश (पौड़ी गढ़वाल)।
11	श्री रुपेश कुमार	गणित	सी-54/3, आर०डी०एस०ओ० कॉलोनी, जिला-देहरादून, पिन-248001, उत्तराखण्ड।	डॉ० शिवानन्द नौदियाल राजकीय महाविद्यालय, (चमोली)।

Maths

01

14/6/19

1

29/5/2020

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 22 मई, 2020
नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	सोनम भट्ट	समाजशास्त्र	बी-2, श्री हरिकुंज अपार्टमेंट, भागीरथीपुरम जाखन, राजपुर रोड़, देहरादून।	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग।
2	आदित्य शर्मा	समाजशास्त्र	म.नं.-एफ-49, रेहारी कॉलोनी रोड़, पो0-रेहारी, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर, पिन-180005,	राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव।
3	तनुजा रावत	समाजशास्त्र	क्रेडल पब्लिक स्कूल के पीछे निम्बूवाँड़, कोटद्वार गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिन-246149, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, पावौ।
4	गुलनाज फातिमा	समाजशास्त्र	द्वारा राव मौह0 अली, लेन सी-24, सनव्यू सोसायटी, टर्नर रोड़, क्लेमेंट टाउन, देहरादून-248002	राजकीय महाविद्यालय, थल्यूड़।
5	आराधना सिंह	समाजशास्त्र	65-शिवालिकपुरम, जीएमएस रोड़, पो0-कांवली, देहरादून-248001	राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण।
6	नीलम सौन	समाजशास्त्र	ग्राम-सुवाकोट, पो0-वड़डा, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट।
7	निर्दोषिता बिष्ट	समाजशास्त्र	कैम्ब्रीज हाऊस, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड)-263001	राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट।
8	प्रदीप कुमार पाण्डेय	समाजशास्त्र	500/1, सत्यम् नगर, कॉलोनी, भगवानपुर, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।	राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी।
9	नीमा बोरा	समाजशास्त्र	डॉ0 नीमा बोहरा द्वारा श्री अरविन्द सिंह पडियार, बलरामपुर हाऊस मल्लीताल, नैनीताल, पिन-263002	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत
10	अनीता	समाजशास्त्र	ग्राम-गौरा, पो-मेहनगर, जिला-आजमगढ़, पिन-276204	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे
11	कमला देवी	समाजशास्त्र	निकट सुमित ज्वैलर्स, वार्ड सं0-08, रम्पुरा, रुद्रपुर, जनपद उधमसिंहनगर।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत

12	इला बिष्ट	समाजशास्त्र	जीन स्ट्रीट, उत्तरांचल कॉलोनी, गैस गोदाम रोड, कुसुम खेड़ा, हल्द्वानी, पिन-263139	राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैन।
13	प्रफुल्ल गुप्त	समाजशास्त्र	श्री प्रफुल्ल गुप्त, विनोबा मार्ग, निकट कन्दापाटशाला, छाररा, जिला-अलीगढ़, पिन-202130, उ० प्र०।	राजकीय महाविद्यालय, दुमनाकुरी।
14	अनीता बिष्ट	समाजशास्त्र	ग्राम छतरपुर डेरा, व पो०-छतरपुर, जिला-उधमसिंहनगर, पिन-263153, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर।
15	सुधीर कुमार	समाजशास्त्र	ग्राम-दुलखरा, पो०-खदाना, जिला-बुलन्दशहर, उ०प्र०, पिन-203394	राजकीय महाविद्यालय, मुयानी।
16	राहुल पाण्डेय	समाजशास्त्र	ग्राम व पो०-पाण्डे का पुरा, अठौसी, बरीना, तहसील-जयसिंहपुर, जिला-सुल्तानपुर, पिन-228120, उ०प्र०।	राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी।
17	राहुल कुमार ठिवारी	समाजशास्त्र	ग्राम व पो०-समगढ़वा, जिला-पूर्वी बम्पारन (बिहार), पिन-845433	राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट।
18	स्नेह शक्ति	समाजशास्त्र	2034, जिनिवा टावर, गौर सौन्दर्यम, जी, नोयडा, पिन-201318	राजकीय महाविद्यालय, कमांड।
19	पुष्पा पाण्डेय	समाजशास्त्र	बिठौरिया नं०-1, जयगंगा इन्द्रपुरम, नियर पुस्तकालय, हल्द्वानी, नैनीताल-263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर।
20	अमिताषा बाजपेई	समाजशास्त्र	श्री दीपक कुमार शर्मा (ब्रान्च मैनेजर) द्वारा आर०ए० मोटर्स प्रा०लि०, जीरो प्वाइंट, रामपुर रोड, मुरादाबाद, पिन-244001, उ०प्र०।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग।
21	अनामिका शर्मा	समाजशास्त्र	17, महारानी बाग, फेस-1, पो०-एफआरआई, देहरादून, पिन-248006	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
22	हर्षनेन्द सिंह	समाजशास्त्र	जो०-2, एसीट-19, ज्ञान खण्ड-II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ०प्र०-201014.	राजकीय महाविद्यालय, नैनीटॉड।
23	विजयपाल मूड	समाजशास्त्र	ग्राम व पो० सिहोट छोटी, बाबा-फायलवा, तहसील-घोड़, जिला-सीकर, राजस्थान-332041	राजकीय महाविद्यालय, बीखुटिया।
24	शीतल	समाजशास्त्र	बीमती शीतल पत्नी नितिन वालिया द्वारा धीरेन्द सिंह वालिया, काली माता मन्दिर रोड, दिनकर विहार निकट मड़वाल सभा भवन एनफील्ड, विकासनगर देहरादून-248198	राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग।
25	अमिता बिहान	समाजशास्त्र	श्री प्रेम सिंह (से०नि० उत्तराखण्ड पुलिस), म.नं.-23/41, टिहरी विस्थापित कॉलोनी, नवोदय नगर, रोहतासबाद, हरिद्वार, पिन-249402	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापनगर लम्बगाँव।
26	अनुपम सिंह	समाजशास्त्र	ग्राम अग्रानपुर, पो०-बुरहवाल, सुगर मिल, जिला-बासबकी, उ०प्र०-225202	राजकीय महाविद्यालय, कपकोट।

4

27	आशुषमा बनानी	समाजशास्त्र	द्वारा श्री क.एस. रौतेला, ग्राम-तुनाल्का, पो-माटिया, तहसील-बड़कोट, जिला-उत्तरकाशी, पिन-249171	राजकीय महाविद्यालय, अमरोडा।
28	नरेश सिंह ग्वाल	समाजशास्त्र	श्री नरेश सिंह ग्वाल पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्वाल, ग्राम-(गो) घाटीबगड, पो-बलुवाकोट, तहसील-भारवृना, पिथौरागढ़-262576	राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर।
29	धीरेन्द्र सिंह	समाजशास्त्र	ग्राम-बिरही, पो-मायापुर, जिला-धमोली, पिन-246472, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
30	पवन कुमार	समाजशास्त्र	श्री पवन कुमार द्वारा श्री मुरारीलाल, जाटव बस्ती, भवानीगंज, रामनगर, नैनीताल-244715, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी।
31	द्विजेश कुमार	समाजशास्त्र	ग्राम व पो-शहदौरा, तहसील-किष्कंधा, जिला-उधमसिंहनगर, पिन-263148, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग।
32	निशा पाल	समाजशास्त्र	म.नं.-7, लेन नं.-1, अश्वनी एनक्लेव, सेवला कला, शिमला बाईपास, देहरादून।	राजकीय महाविद्यालय, पोखड़ा।
33	चन्द्रा गोस्वामी	समाजशास्त्र	श्रीमती चन्द्रा गोस्वामी, पुत्री श्री प्रताप गिरी गोस्वामी, ग्राम-नयागाँव, कटान, पो-घोरगलिया, जिला-नैनीताल, पिन कोड-263139,	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा।
34	रचना टम्टा	समाजशास्त्र	टम्टा मोहल्ला (घामी) थाना बाजार अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर।
35	हिना परवीन	समाजशास्त्र	ग्राम-अलीनगर, पो-शहदौरा, तहसील-किष्कंधा, जिला-उधमसिंहनगर, पिन कोड-263148, उत्तराखण्ड	राजकीय महाविद्यालय, पाटी।
36	संजीव कुमार आर्या	समाजशास्त्र	प्रेम पुष्पानचल भवन, 8-336/अ, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, पिन-263139	राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट।
37	सोहन सिंह	समाजशास्त्र	म.नं.-51 शताब्दी इनक्लेव, जोगीवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, नई टिहरी।
38	विनोद	समाजशास्त्र	ग्राम-खेडा तल्ला, पो-थत्यूड, जीनपुर, टिहरी गढ़वाल।	राजकीय महाविद्यालय, ब्रह्मखाल।
39	संगीता रावत	समाजशास्त्र	नगरपालिका बड़कोट, बार्ड नं.-5, निकट एस0बी0आई0, पो-बड़कोट, जिला-उत्तरकाशी-249141	राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट।
40	तबस्सुम जहाँ	समाजशास्त्र	ग्राम व पो-मिवक्रमपुर जीतपुर, जिला, हरिद्वार, पिन-247671,	राजकीय महाविद्यालय, पुरौला।
41	श्रद्धा	समाजशास्त्र	श्रीमती श्रद्धा, ग्राम-94ए अलावलपुर, पो-सुभाषगढ़, जिला-हरिद्वार, पिन-247683	राजकीय महाविद्यालय, नई टिहरी।

61

42	हमिशा सिंह	समाजशास्त्र	158/2डी, ऑफीसर्स कॉलोनी, लेन-3, राजपुर रोड, देहरादून-248009, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, डफरखाल।
43	हरेश राम	समाजशास्त्र	रा0इ0का0 भूमिवाधार, पो0-भूमिवाधार (भवाली), जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ।
44	रितु राज यादव	समाजशास्त्र	मन-सी/49, रानी पदमावती कॉलोनी, गौ0पक्काकोट, काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर, पिन-244713, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणनगर।
45	उमा आर्या	समाजशास्त्र	न्यू एफ/9, हैदराबाद कॉलोनी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, पिन-221005.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
46	रश्मि टम्टा	समाजशास्त्र	आनन्द कुंज पंचशील कॉलोनी, सेक्टर नं0-03, टनकपुर रोड अर्गाऊ, खटीमा (उधमसिंहनगर), उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
47	रूपा यादव	समाजशास्त्र	हाउस नं0-41-42, ट्रीजिट कैम्प, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर, पिन-263153	राजकीय महाविद्यालय, गतराँजखान।
48	सुभाष चन्द्र	समाजशास्त्र	ग्राम-अदनी, पो0-रौन्तल, तहसील-चिन्त्यालीरौड, जनपद-उत्तरकाशी, पिन-249196, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, गैरसैण।
49	सीमा प्रिया	समाजशास्त्र	द्वारा श्री रामप्रसाद, ग्राम-किरतपुर, पो0-दानपुर, तहसील-रुद्रपुर, जिला-उधमसिंहनगर, पिन कोड-263153, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, शीतलाखेत।
50	रितु सिंह	समाजशास्त्र	एन-213, शिवालिक नगर, बी.एच. ईएल, रानीपुर, हरिद्वार।	राजकीय महाविद्यालय, नन्दासैण।
51	पवन कुमार	समाजशास्त्र	ग्राम व पो0-बड़कोट, जिला उत्तरकाशी, पिन-249141, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, चक्रता।
52	राखी बाल्मीकि	समाजशास्त्र	मन-05, टाईप-1, पो0डब्ल्यू0डी0 कॉलोनी, नियर चीफ ऑफिस, लोअर माल रोड, अल्मोड़ा, पिन-263801,	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा।

2- वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश/प्रदेश में उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति के कारण इस समय उक्त चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी को तैनाती के समय इस आशय का प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी।

1.

5- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु नियुक्ति वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमत्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी दिये होंगे।

6- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।

7- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुम्हड़ अथवा मद्रवाल मण्डल के सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जावेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्वास्थ्य रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जावेगा।

8- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्ययुक्त प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त खरिद प्रमाण-पत्र, जो सेवागत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

9- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/राज्य-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्तर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मध्य न्यायालय द्वारा दायित्व नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के खरिद एवं पूर्वभूत के सम्पत्ति, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सम्पत्ति पर उसकी सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आया है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा तथा इसके लिए वह किसी भी पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इंग्लिश ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्रावधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एवीरजिमेंस का प्रमाण पत्र।

10- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

11- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVIII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त वार्षिक "अंशदायी पेशा योजना" से सम्बन्धित होंगे।

5

12- यदि अम्बुवी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अपना सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से बाधित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

13- सम्बन्धित अम्बुवी की वारन्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

14- सम्बन्धित अम्बुवी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन अतिस्टेन्ट प्रोमोटर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हों, तो वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत किये गये लॉकडाउन खुलने के परवाह ही तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अम्बुवी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

15- जिन अम्बुवी की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व कृत की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, उन अम्बुवी से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

16- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अभिनियम, 2017 (छात्रा 01, वर्ष 2018) की संज्ञा धारकों से आवेदनित होगी।

(आनन्द बर्दान)

प्रमुख सचिव।

पुष्टांकन संख्या- 4// (1)/XXIV-C-4/2020-01(01)/2019TC, तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, माओ उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अम्बुवी की योगदान सूचना की स्थिति सासन को उपलब्ध करावे।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, शिक्षित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पीछी एवं कुमकुल मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अम्बुवी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अम्बुवी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अम्बुवी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेगी।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अम्बुवी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एनओआईटीओ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित प्रभावली।

(एमओएमओ सेमवाल)

संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृष्ठ सं० : डिग्री सेवा / 723

/ 2020-21

दिनांक : 23 मई 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1. सम्बन्धित जिलाधिकारी- द्वारा-सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के पृष्ठोक्त बिन्दु 7 का अवलोकन करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना से निदेशालय को भी अवगत करावें।
3. सँगणक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली। / सञ्चालित अभिर्भाव

डी०(एन०एस० बनकोटी)

उप निदेशक,

उच्च शिक्षा,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

उत्तरांचल शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग
संख्या: 487/उ0शि0/03-3(34) 2001
देहरादून दिनांक 03 जुलाई, 2003

विज्ञप्ति/विनियमितीकरण

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 30 जून, 1998 के पूर्व वेतनमान रु0 8000-13500 में तदर्थ आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं को तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उपर्युक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका में अंकित प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति का विनियमितीकरण करते हैं तथा उन्हें प्रवक्ता के अस्थायी पद पर नियमित/गोष्ठिक नियुक्ति करते हैं।

2 इन प्रवक्ताओं की आपसी तथा अन्यो के साथ ज्येष्ठतावाद में निर्धारित की जायेगी तथा इन शिक्षकों के विनियमितीकरण के उपरान्त आरक्षण कोटा भविष्य में पूरा किया जायेगा।

संलग्नक-यथांगरि।

एम0 रामचन्द्रन
प्रमुख सचिव।

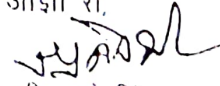
पृष्ठानक संख्या 487 (1)/उ0शि0/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी को इस अनुचित के साथ प्रेषित कि वे कृपया, समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा सम्बन्धित प्रवक्ताओं को इस आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2 महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।

Self Attached
Hypst 1

स्व मुद्रांकित
अमिता जोशी

आज्ञा से,

(जे.पी.0 जोशी)
अनु सचिव।
(१)

शारानादेश संख्या: 487 / उ०शि० / ०३-३(३४) २००१ दिनांक ०३ जुलाई, २००३ का
संलग्नक

दिनांक ३० जून, १९९८ के पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त विनियमित प्रवक्ताओं की तालिका-

क्र०स०	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्रीमती शैलजा जोशी	अर्थशास्त्र
2.	डा० आशा राणा	राजनीति शास्त्र
3.	डा० पूनम रौतेला	भूगोल
4.	डा० बीना मथेली	हिन्दी
5. ✓	डा० माया श्वेत	संस्कृत
6.	डा० शारदा नगाल	शिक्षा शास्त्र
7.	डा० बलवीर सिंह	वाणिज्य
8.	डा० अनिता रावत	प्राणि विज्ञान
9.	डा० गिरिश चन्द्र वैजयाल	अर्थ शास्त्र
10.	डा० पुनीता कुशवाहा	हिन्दी
11.	डा० संतोष कुमार मिश्र	हिन्दी
12.	डा० हर्षवर्धन मिश्र	संस्कृत
13.	डा० पूरन चन्द	वाणिज्य
14.	डा० कुमकुम शाह	प्राणि विज्ञान
15.	डा० दीपा मुखोर्तिया	गणित
16.	डा० गुलशन कुमार धिंगड़ा	वनस्पति विज्ञान
17.	डा० विमल प्रकाश बहुगुणा	भौतिक विज्ञान
18.	डा० महेन्द्र सिंह चौहान	भूगोल
19.	डा० गीना शर्मा	समाज शास्त्र
20.	डा० जानकी सुवाल	अर्थशास्त्र
21.	डा० प्रभा पन्त	हिन्दी
22.	डा० चन्द्रशेखर	वाणिज्य
23.	डा० महावीर सिंह रावत	जन्तु विज्ञान
24.	डा० नीता पाण्डे	वनस्पति विज्ञान
25.	डा० रवीन्द्र सिंह रावत	समाज शास्त्र
26.	डा० संगीता चन्देली	इतिहास
27.	डा० राजेश नाटियाल	भूगोल
28.	डा० शम्भू दत्त पाण्डे	हिन्दी
29.	डा० मुकेश जोशी	वाणिज्य
30.	डा० सत्यनारायण राव	प्राणि विज्ञान
31.	डा० धीरेन्द्र मिश्र	वनस्पति विज्ञान
32.	डा० राजकुमार सिंह	जन्तु विज्ञान
33.	डा० शिव दत्त तिवारी	वनस्पति विज्ञान
34.	डा० मनसिंह महरा	राजनीति शास्त्र
35.	डा० कुरूप लता नाटियाल	हिन्दी

Self Attested
May 21 -

जयलक्ष्मी

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2020-01(01)2019TC
देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2020
नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रू० 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	सुश्री सोनिया गम्भीर	वाणिज्य	49/56 अरविन्द मार्ग, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।	एस0एल0एम0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
2	श्री विकास खण्डेलवाल	वाणिज्य	141/15, नान क्लब के पास, शिव कॉलोनी, दोसा-303303, राजस्थान।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)।
3	सुश्री मैत्रेयी थपलियाल	वाणिज्य	एस-373, शिवालिक नगर, रानीपुर, भेल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी।
4	श्री संजय कुमार पाण्डेय	वाणिज्य	47बी, मनु आश्रम, गणेशनगर, म्योराबाद, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद)-211002, उत्तर प्रदेश।	राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)।
5	सुश्री शान्ति	वाणिज्य	भवन संख्या-60 'क', ग्राम-लिन्दूडा, पो0-सित्थाम, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)।
6	श्री हरीश चन्द्र जोशी	वाणिज्य	दुर्गा कॉलोनी, निकट बंगाली क्लीनिक, गिरीताल, जसपुर, खुर्द, काशीपुर, उधमसिंहनगर-244713, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल (पौड़ी गढ़वाल)।
7	श्री रोहित जोशी	वाणिज्य	Stawary Lodge Compound, Ayarpata Mallital, Nainital, Uttarakhand.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)।
8	सुश्री अंशिका बंसल	वाणिज्य	गोविन्द नगर, निकट नगीना नर्सिंग होम, कोटद्वार-246149, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी।
9	श्री अखिल शर्मा	वाणिज्य	मेहर चन्द महाजन बॉयज होस्टल, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176001	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)।
10	सुश्री रोशनी रावत	वाणिज्य	वाड नं०-01, नगर पालिका बड़कोट, जनपद-उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।	राजकीय महाविद्यालय, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)।
11	सुश्री हिना नौटियाल	वाणिज्य	आवास संख्या-2/01, ऊर्जा भवन, बल्लीवाला चौक, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।	डॉ० शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)।

12	श्री आनेश मोयल	वाणिज्य	शरगढ़ चौक, खरिया, जिला-राजकीय महाविद्यालय, (देहरादून)।
13	श्री राहुल रायदा	वाणिज्य	शरगढ़-400001, छत्तीसगढ़। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुरा श्री चन्द्रमणी, ग्राम-कुपी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पो-ऑफिस, जिला-पिथौरागढ़, रानीखेत (अल्मोड़ा)।
14	सुश्री पायल भल्सा	वाणिज्य	पिन-202601, हाउस नं-990, प्रथम तल, सेक्टर, एस0एल0एम0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
15	श्री सौरभ रायदा	वाणिज्य	12-ए, पंचकुला, हरियाणा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राज कॉटेज, प्लॉट नं-45, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टी0एच0डी0सी0 कॉलोनी, गोपेश्वर (चमोली)।
16	सुश्री ममता भट्ट	वाणिज्य	देहरादून-248001, उत्तराखण्ड। देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।
17	श्री रविन्द्र कुमार	वाणिज्य	वैली विजन शोध संस्थान निकट डॉ0 शिवानन्द नॉट्रियल राजकीय हनुमान मंदिर गुरुद्वारा रोड, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीनगर, जिला-पौड़ी गढ़वाल, (चमोली)।
18	श्री सचिन अग्रवाल	वाणिज्य	उत्तराखण्ड। मकान नं-41, पंजाबी लेडीज डॉ0 शिवानन्द नॉट्रियल राजकीय टेलर, वी.पी.ओ.-सतपुली, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तहसील-सतपुली, जिला-पौड़ी (चमोली)।
19	श्री सत्येन्द्र कुमार	वाणिज्य	गढ़वाल-246172, उत्तराखण्ड। मकान नं-245/48, आशा पुरी, राजकीय महाविद्यालय, मंडोली रोड मथुरा-281001, उत्तर (बागेश्वर)।
20	सुश्री बुशरा मतीन	वाणिज्य	प्रदेश। निकट बेस अस्पताल, श्रीकोट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंगानाली, श्रीनगर (गढ़वाल)। नई टिहरी।
21	श्री शंकरनाथ गोस्वामी	वाणिज्य	अब्दुल मतीन, अब्दुल्लाह बिल्डिंग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। रानीखेत (अल्मोड़ा)।
22	सुश्री दीपिका	वाणिज्य	ग्राम-अयारतोली, पो0ऑ0-डंगोली, स्वामी विवेकानन्द राजकीय जिला-बागेश्वर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)।
23	श्री चमन कुमार	वाणिज्य	उत्तराखण्ड-263635 न्यू पलेस, गाँधी चौक, लाइब्रेरी, रामचन्द्र उनियाल राजकीय मसूरी-248179, उत्तराखण्ड। स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
24	श्री हरीश चन्द्र रतूडी	वाणिज्य	23 जी.ए. सदर लाईन बड़ा बाजार, राजकीय महाविद्यालय, मल्लीताल, वार्ड नं-7, मल्लीताल, (देहरादून)।
25	श्री जाहिद मुस्तफा	वाणिज्य	नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड। रतूडी भवन, वार्ड नं-6, निकट डॉ0 शिवानन्द नॉट्रियल राजकीय पेट्रोल पंप हाउस शान्तिनगर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग ढालवाला, पो0-मुनि की रेती, (चमोली)।
26	श्री अनुराग भण्डारी	वाणिज्य	जिला-टिहरी गढ़वाल-249137 श्री सगीर अहमद, 223/7 नया एस0एल0एम0 राजकीय स्नातकोत्तर 279, शेखपुरी, रुड़की, जिला-महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
		वाणिज्य	हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247667 मकान नं-575-जी, टपकेश्वर राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी मार्ग, गली नं-3, देहरादून छावनी, (रूद्रप्रयाग)।
		वाणिज्य	जिला-देहरादून, पिन-248003, पिन-248003.

27	श्री फखरुद्दीन राही	वाणिज्य	उत्तराखण्ड। गोजाजाली उत्तर, मोशीनिवा, पं० बड़ीदल पापड़े मन्त्रीय नियर आयशा गरिजद, 25 ए, राही स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर। निवासा, मल्हानी-263139,
28	सुश्री ज्योतिका कौर	वाणिज्य	उत्तराखण्ड। 71, नयागौव, मोहनी मन्त्रीय मन्त्रीय मन्त्रीय अलनवाला, देहरादून -249001, मन्त्रीय मन्त्रीय, जयहरीमाल (पं० उत्तराखण्ड। मन्त्रीय)
29	श्री सुखपाल सिंह रोतेला	वाणिज्य	गली नं०-1, भागीरथीपुरम, चौपड़, रावी मन्त्रीय फार्म, श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून- स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर 249204, उत्तराखण्ड। (चम्पावत)।
30	सुश्री सृष्टि	वाणिज्य	एस-308, शिवालिक नगर, भेत, रामचन्द्र मन्त्रीय रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्दर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9- उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

15- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13 (2) से आच्छादित होगी।

(अशोक कुमार)
प्रभारी सचिव।

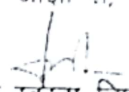
पृष्ठांकन संख्या- 43 (1)/XXIV-C-4/2020-01(01)/2019TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए

तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

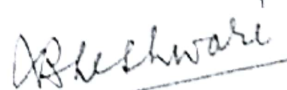
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0 : डिग्री सेवा / 9532-38 / 2019-20 दिनांक : 15 जनवरी 2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमाऊँ मंडल/गढ़वाल मंडल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, - द्वारा- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
6. सँगणक/डिग्री बजट, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी- द्वारा- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
8. सम्बन्धित पत्रावली।



डॉ0(एन0पी0 माहेश्वरी)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

27/1-1
28
65/2/21

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2021-01(14)2021
देहरादून : दिनांक 05 फरवरी, 2021

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर-गृह विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका विवरण (नाम एवं पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान रु० 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	पारूल बोरा	पुत्री श्री के०एस० बोरा, गली न०-6, वैभव कॉलोनी, ऊंचापुर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263139	स्व० श्री जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोडा।
2	सोनाली कार्तिक	मकान न०-195, आर्य भवन, टेडा रोड, रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन कोड-244715	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत।
3	मंजू यादव	आजादपुरा-3, शिशुमंदिर के पीछे, ललितपुर, उ०प्र०, पिन-284403,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ, चमोली।
4	शालिनी पाण्डेय	गाँव-पुराना बिन्दुखत्ता, पुराना खत्ता दूध डेयरी के पास, लालकुआँ, नैनीताल, उत्तराखण्ड पिन कोड-262402।	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर।
5	सविता राठौर	बी-73, सेक्टर-39, पराग मिल्क पार्लर के पास, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०, पिन कोड-201301	एल०एस०एम०राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़।
6	मयनी चौधरी	मकान न०-852, पुष्पांजलि विहार, रिकट रेलवे स्टेशन रुड़की, उत्तराखण्ड, पिन कोड-247667	फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, लम्बगाँव, टिहरी गढ़वाल।
7	सगीता सिदोला	मकान न०-18, ग्राम-सिदोली, पो०-सिदोली, तहसील- कर्णप्रयाग, जिला-चमोली, उत्तराखण्ड, पिन कोड-246429	राजकीय महाविद्यालय, थल्यूड, टिहरी गढ़वाल।

8	प्रियंका गुप्ता	ग्राम-बागवाला, पो0-दानपुर, रुद्रपुर, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263153	स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर।
9	नीतू राज	21/1, आशीर्वाद आर्य निवास कृष्णा विहार, स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-248007	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी।
10	प्रियंका शाह	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ल्वाली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली।
11	नीतिका	ग्राम-दीना-डी-क्लास, पो0-हल्द्वी, थाना-लालकुआँ, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263139,	स्व0 श्री जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोडा।
12	भूपेन्द्र औलख	विला नं0: H-3, आइडिया कॉलोनी, किच्छा रोड निकट लालपुर, तहसील-रुद्रपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263153,	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर।
13	लता आर्या	रसायन विज्ञान विभाग, सी0बी0एस0 एच0, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263145	राजकीय महाविद्यालय, गरुड़, बागेश्वर।

- 2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- 3- नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।
- 4- असिस्टेंट प्रोफेसर को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 5- असिस्टेंट प्रोफेसर को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- 6- असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का

स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
 - (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
 - (3) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
 - (5) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
- 8- योगदान करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्डर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अनियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में, यदि कोई हो तो।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9- उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

10- विलत विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11- यदि असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

- 12- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।
- 13- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 14- जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, उन असिस्टेंट प्रोफेसर से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 15- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13(2) एवं 18(1) से आच्छादित होगी।
- 16- उक्त नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-160(एस0/बी0) ऑफ 2020, रीना गर्ब्याल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-162(एस0/बी0) ऑफ 2020, प्रीति बर्त्वाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-167(एस0/बी0) ऑफ 2020, होमी जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 133 (1)/XXIV-C-4/2021-01(14)2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध कराये।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा

-5-

उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।

- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से.
(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पू0सं0: डिग्री सेवा-1/ 8555 /2020-21 दिनांक: 06 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, अल्मोडा/पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल/चमोली।
3. सम्बन्धित प्राचार्य राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. सम्बन्धित अग्यर्थी।
6. संगणक, उच्च शिक्षा, निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० कुमकुम रौतेला)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

137 सेवा I

30/10/2019

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-1534/XXIV(4)/2019-01(01)2019TC-I
देहरादून : दिनांक 29 अक्टूबर, 2019

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	2	3	4	5
1	सुश्री शीतल देशवाल	गणित	359-बी0, नॉर्थ सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर, 251001	राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, (चमोली)।
2	श्री संजीव कुमार	गणित	ग्राम एवं पोस्ट-ननहेरा, अनन्तपुर, रुड़की, हरिद्वार-247668	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, (बागेश्वर)।

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा-

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियाँ सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की योगदान सूचना की स्थिति शासन को उपलब्ध करायें।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,
→ 11/8
(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0:डिग्री सेवा-1 / 6483-88/2019-20 दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, चमोली/बागेश्वर (उत्तराखण्ड)।
3. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)/
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, काण्डा (बागेश्वर)।
सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी- (I) सुत्री शीतल देशवाल, 359-बी0, नॉर्थ सिविल लाईन,
मुजफ्फरनगर, 251001।
(II) श्री संजीव कुमार, ग्राम एवं पोस्ट-ननहेरा, अनन्तपुर, रुड़की,
हरिद्वार-247668।
5. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. संगणक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ0 एस0सी0 पन्त)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-7XXIV-C-4/2021-01(38)2021TC
देहरादून : दिनांक 8 अक्टूबर, 2021

नव नियुक्ति आदेश

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित CIVIL APPEAL NO-2850 OF 2020 आनन्द यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-62/03(14)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित असिस्टेन्ट प्रोफेसर-शिक्षाशास्त्र, वेतनमान रु0 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम(श्री, श्रीमती, सुश्री)	पत्राचार का पता
1	सुषमा मक्कड़	पत्नी श्री रविन्द्र कुमार, ग्राम व पोस्ट-बरहैनी, तहसील-बाजपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-262401, उत्तराखण्ड।
2	हेमन्त कुमार बिनवाल	पुत्र श्री नरेश चन्द्र बिनवाल, ग्राम-मल्ल, चोरगलिया (सुनारधड़ा), पो0-चोरगलिया, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड, 262528।
3	रेखा रतूड़ी	रेखा रतूड़ी मार्फत बी0डी0 चमोली सदन, कालेश्वर मंदिर मार्ग, जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी, पिन-249193
4	लक्ष्मी जोशी	Shri Badari Kedar Temple Committee, LJ Road near chandrabhaga-pul, Rishikesh, Dehradun, pin-249201
5	उमा पाण्डेय	C/o डॉ0 आरवसी0 पडलिया, प्रभारी वैज्ञानिक, सीमेप रिच सेन्टर, पो0ऑ0-डेयरी फार्म नगला, पंतनगर, पिन कोड-263139, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
6	रूबी ममगाई	C/o श्री रामचन्द्र थपलिया, निकट पंचायत घर, ग्राम शिबूनगर, तड़ियाल चौक, पो0 ऑ0-कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7	डॉ0 गौरव कुमार	सियाराम भवन C/o सियाराम गेस्ट हाउस, ज्वाला लाईन/ठेंगा लाईन (इलाहाबाद/इंडियन बैंक के पास) पो0-रामनगर, जिला नैनीताल, पिन-244715, उत्तराखण्ड।
8	दिनेश कुमार	17 बी, अलकनंदा कॉलोनी, नवीन मण्डी के पास, तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल, पिन-263139
9	सौरभ सिंह	ग्राम व पोस्ट--कुम्हियाँ, तहसील-सदर, थाना-मया महाराजगंज, जिला-अयोध्या / फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-224172
10	मनीषा गहतोड़ी	C/o श्री सुनील नरियाल, आरोग्य धर्मशाला लाईन, पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड), पिन-262501
11	सुनीता जोशी	BK Puram, Bishtdharma, Bithoria No.1, Kusumkhara, Haldwani, District-Nainital, pin-263739
12	नीरज काण्डपाल	ग्राम-काण्डे, पो0-बिठोली, तहसील-द्वाराहाट, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन-263653
13	अशोक कुमार	बी0एड0 विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली पिन-246401

14	सुमित सिंह	आत्मज, गोविन्द सिंह सजवाण, 380, नागराजा मौहल्ला, श्रीकोट गंगनाली, पौड़ी गढ़वाल, पिन-246174
15	श्वेता सिंह	C/o Mr. Kundan Singh Negi, House no-1096, near sale tax office, Subhash Nagar-Haldwani, Nainital-263139
16	आशु रौलेट	लैन नं०-4, अलकनन्दा विहार, श्रीनगर (गढ़वाल), 246174
17	गौहर फातिमा	Rajmahal Hotel compound, Mallital, Nainital, Uttarakhand, pin-263001
18	दीपिका नेगी	ग्राम व पो०-स्याल्दे, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन-263661
19	प्रीति	ग्राम-चोरपानी, कोटद्वार रोड (शिव नगर), रामनगर, नैनीताल, पिन-244715, उत्तराखण्ड।
20	संजय कुमार गंगवार	ग्राम-नौगवाँठगू शिव कॉलोनी, खटीमा, ऊधमसिंह नगर, पिन-262308
21	दीक्षा खम्पा	एन०टी०डी० पपरशैली, अल्मोड़ा, पो०-बल्डोटी, जिला-अल्मोड़ा, पिन-263601
22	प्रमोद वर्मा	प्रमोद वर्मा C/o वंश जनरल स्टोर निकट एस०डी०एम० कोर्ट, काशीपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन-244713
23	डॉ० सुमेर चन्द	ग्राम व पो०-बड़वा वाया सहसपुर, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248197
24	अल्का आर्य	C/o श्रीमती भागीरथी देवी, गेठिया सेनेटोरियम, नैनीताल, पिन-263127
25	आशा आर्य	40/1, बकरालवाला, देहरादून
26	संजय कुमार	संजय कुमार, स्टेट बैंक के पा, पहाड़ी वाली गली, डिफेन्स कॉलोनी, रुड़की, हरिद्वार-247667
27	डॉ० अशु सिंह	304/A Old Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand.

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- असिस्टेंट प्रोफेसर को उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- असिस्टेंट प्रोफेसर को तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की

स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7— इस आदेश के निर्गत होने के एक माह की अवधि के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रत्येक दशा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा तथा इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा—

- (1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।
- (2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (3) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8— योगदान करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा—

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्डर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में, यदि कोई हो तो।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9— उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18(1) के अनुसार नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

10— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/XXVII(7)/C.P.S./2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11— यदि असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12— सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13— सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने

के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14- जिन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जाँच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं हैं, उन असिस्टेंट प्रोफेसर से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

15- उक्त तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा-13(2) एवं 18(1) से आच्छादित होगी।

16- उक्त नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-77(एस0/बी0) ऑफ 2020, अंजना बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-253(एस0/बी0) ऑफ 2021, मुहम्मद सलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(एम0एम सेमवाल)

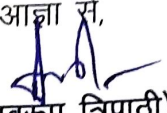
अपर सचिव।

संख्या- 1197 (1)/XXIV-C-4/2021-01(38)2021 TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यहित/छात्रहित में अस्थायी व्यवस्था/शासन के अग्रिम आदेशों तक दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में सम्बद्ध करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अगवत कराने का कष्ट करें। उक्त अभ्यर्थियों का वेतन शिक्षा शास्त्र विषय के रिक्त पदों के सापेक्ष आहरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित के मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली-भांति जांच कर ली जाए तथा उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां एवं सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति से भी शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि असिस्टेंट प्रोफेसर की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व सम्बन्धित की मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जाँच कर ली जाय तथा उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने सम्बन्धी सूचना की स्थिति भी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV(4)/2019-01(01)2019
देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2019

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है, को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर, वेतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10, के पद पर अस्थायी आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती हेतु प्रस्तावित महाविद्यालय
1	2	3	4	5
1	प्रतिभा बलूनी	वनस्पति विज्ञान	जोशी भवन, अमला क्वाटर, काण्डई रोड, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल-246001	श्री अनुसूया प्रसाद बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि, जनपद-रूढ़प्रयाग।
2	कमल किशोर	वनस्पति विज्ञान	गेस्ट प्रोफेसर-वनस्पति विज्ञान विभाग, एल0एस0एम0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़-262501, उत्तराखण्ड	राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण, जनपद-अल्मोड़ा।
3	पूनम टाकुली	वनस्पति विज्ञान	मार्फत श्री तरुण प्रकाश टाकुली (एडवोकेट) एच.सी. बलमोरल कम्पाउण्ड, निकट शेरवानी, मल्लीताल, नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, जनपद-बमोली।
4	तनुजा तिवारी	वनस्पति विज्ञान	देवाश्रय कॉलोनी, ऊँचापुल, तल्ला लोहरिया साल, पो0-कठघरिया, हल्द्वानी-263139, उत्तराखण्ड	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, जनपद-अल्मोड़ा।
5	ऋचा ख्यानी	वनस्पति विज्ञान	मार्फत श्री गुरु प्रसाद बिजलवाण, 14 बीघा, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश-249137.	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-उत्तरकाशी।
6	प्रियंका	वनस्पति विज्ञान	प्रियंका डिमरी, मार्फत श्री जे0पी0 सेमवाल, सूरज सदन, सुभाषनगर, गोपेश्वर, जिला-बमोली-246401, उत्तराखण्ड।	फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय, तम्बगौव, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
7	सतीश चन्द्र	वनस्पति विज्ञान	मार्फत भगवती प्रसाद भट्ट, मकान न0-151, गली न0-7 A कृष्ण विहार, मोहकमपुर, देहरादून-248005	राजकीय महाविद्यालय, त्यूणी, जनपद-देहरादून।
8	आरती चौहान	वनस्पति विज्ञान	A-25, सिदार्थकुंज, निकट वीर सावरकर नगर, डेलापौर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243001	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, जनपद-अल्मोड़ा।
9	दीपक कुमार सिंह	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-मनकेशी, पो0-मनकेशी, जिला-बाराणसी-221307, उत्तर प्रदेश।	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-उत्तरकाशी।
10	अभय कुमार श्रीवास्तव	वनस्पति विज्ञान	417-C आजाद नगर, पो0-नई शिवपुरी कॉलोनी, रूस्तमपुर, गोरखपुर-273016, उत्तर प्रदेश।	हिमवती कवि चन्द्र कुँवर बर्यवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागनाथपोखरी, जनपद-बमोली।

11	अनुषा कोनिया	वनस्पति विज्ञान	पुत्री श्रीमती रामी देवी, केंद्रीय विद्यालय, अपर कैम्प, गढ़ीकैंट, सप्लाइ चौक, देहरादून-248003	राजकीय महाविद्यालय, चन्दबस्ती, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
12	प्रीति पन्त	वनस्पति विज्ञान	श्रीमती प्रीति पन्त, वनस्पति विज्ञान विभाग, एल.एस.एम. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़-262501,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, जनपद-बमोली।
13	विपिन घन्ट	वनस्पति विज्ञान	सैनिक कॉलोनी, हरिपुर नायक, निकट आर. टी.ओ. ऑफिस, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल-263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, बमोली।
14	हसीन अहमद	वनस्पति विज्ञान	J 3/106, कटेहर, जैतपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001	राजकीय महाविद्यालय, अमरगढ़, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
15	इन्द्रेक्ष कुमार पाण्डे	वनस्पति विज्ञान	106/9, पाण्डेय आवास योजना, हवेलिया, धौसी, इलाहाबाद- 211019,	डी० शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, जनपद-बमोली।
16	प्रियंका उनियाल	वनस्पति विज्ञान	वनस्पति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, बमोली-246401,	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, जनपद-बमोली।
17	कोमल गुप्ता	वनस्पति विज्ञान	डी० कोमल गुप्ता मार्फत श्री लक्ष्मण सिंह रावत, ओम सदन, दुगालखोला, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड-263601	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, जनपद-अल्मोड़ा।
18	दिवेक कुमार	वनस्पति विज्ञान	अतिथि सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मोतीराम बाबूराम पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी- 263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-बम्पावत।
19	निशा	वनस्पति विज्ञान	निशा पुत्री श्री मंगल राम, सेंट जोसेफ कॉलेज, तल्लीताल, नैनीताल-263002	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे, जनपद-अल्मोड़ा।
20	भारती	वनस्पति विज्ञान	वनस्पति एवं माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, बिरला चौरास कैम्पस, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड-246174	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-पिथौरागढ़।
21	छाया सिंह	वनस्पति विज्ञान	47-शक्ति विहार, माजरा, देहरादून-248001	राजकीय महाविद्यालय, धलीतौण, जनपद-पौड़ी गढ़वाल।
22	अश्विन कुमार	वनस्पति विज्ञान	सैनिक कॉलोनी, गली नं०-2, मकान नं०-620 A (पुराना), 1204 (नया), रुड़की, हरिद्वार- 247667	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग, जनपद-पिथौरागढ़।
23	सैफाली सक्सेना	वनस्पति विज्ञान	निकट नीलम बुक डिपो, मेन मार्केट, काशीपुर-244713 (जयमसिंहनगर)	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला, जनपद-अल्मोड़ा।
24	आरती खंडूरी	वनस्पति विज्ञान	चन्द हाउस, विष्णुपुरम्, तुनवाला, देहरादून-248005	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
25	नरेश सिंह चौहान	वनस्पति विज्ञान	नरेश सिंह चौहान, वनस्पति विज्ञान विभाग, रा० उ० पी०जी० कॉलेज, उत्तरकाशी-249193	श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय, चकराता, जनपद-देहरादून।
26	रेनु	वनस्पति विज्ञान	भरतपुरी, निकट ग्रेड मिशन स्कूल, समनगर, नैनीताल-244715	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-पिथौरागढ़।
27	विजय आर्या	वनस्पति विज्ञान	न्यू कॉलोनी, ताड़ीखेत, पो०-ताड़ीखेत, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड-263663	राजकीय महाविद्यालय, कौडा, जनपद-बागेश्वर।

28	पंकज कुमार टम्टा	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-न्यू बजेटी, पो0ओ0-डिग्री कॉलेज, तहसील एब जिला- पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड-262501	राजकीय महाविद्यालय, कॉडा, जनपद-बागेश्वर।
29	विश्वम्भर जोशी	वनस्पति विज्ञान	एरा0एस0 जोशी, शक्ति एनक्लेव, इन्दिरापुरम, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001	राजकीय महाविद्यालय, पुरोला, जनपद-उत्तरकाशी।
30	संजीव लाल	वनस्पति विज्ञान	मार्फत-ए0डी0 आर्य (रिटायर इन्स्पेक्टर), होपटाउन वायाखाला, राजा रोड, सेलाकुई, पो0ओ0-सेलाकुई-248011, देहरादून, उत्तराखण्ड	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
31	रूपेश कुमार	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-नैथाणा, पट्टी-चौरास, पो0-किलकिलेश्वर, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249161	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, जनपद-चमोली।
32	मनोज कुमार	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-मेलाघाट, पो0-खालीमहुबट, तहसील- खटीमा, जनपद-उधमसिंहनगर-262308	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, जनपद-चम्पावत।
33	मकान प्रकाश विश्वकर्मा	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-डोंग, अपर भक्तियाना, पौड़ी रोड, श्रीनगर गढ़वाल-246174, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग।
34	दीपक कुमार	वनस्पति विज्ञान	मकान न0-5/2914, आहुजा प्रोविजन स्टोर के पास, राधा विहार कॉलोनी, गोपाल नगर, सहारनपुर-247001	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
35	नीलम धर्मसलू	वनस्पति विज्ञान	मकान न0-5/17, जोहार नगर, पो0ओ0-भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड-263141	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
36	जगदीश चन्द्र	वनस्पति विज्ञान	राजपूत भवन, बहुगुणा मार्ग, श्रीनगर गढ़वाल, जिला-पौड़ी गढ़वाल-246174	राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, जनपद-उत्तरकाशी।
37	सुबोध कुमार	वनस्पति विज्ञान	मार्फत श्रीमती करुणा (अनुदेशक), रा0 ओ0 प्रशि0 सं0 श्रीनगर गढ़वाल-246174	राजकीय महाविद्यालय, गैरसैण, जनपद-चमोली।
38	संजय कुमार	वनस्पति विज्ञान	डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (यू0ए0ओ0ए0), मल्लीताल, नैनीताल-263002	कुमार्यू कैसरी पो0 बदीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर।
39	पंकज आर्या	वनस्पति विज्ञान	मार्फत करमचन्द, रावेल सिंह कपूर, ब्लॉक मर्चेट, चौक बाजार, अल्मोड़ा-263801	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
40	विपिन चन्द्र	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-झण्डी चौड़ पश्चिमी, पो0-झण्डी चौड़ (कोटद्वार), जिला-पौड़ी गढ़वाल-246149	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
41	संजू	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-देवखड़ी, दमुवाढ़गा खाम, पो0-काठगोदाम, जिला-नैनीताल-263126	हुकुम सिंह बोहरा राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर, जनपद-अल्मोड़ा।

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के उपरान्त भी यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें सरकार द्वारा यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों व समय-समय पर प्रख्यापित अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

प्रेषक,

एम0एम0 रोमवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

विषय- संघिदा एवं गैरस्ट फैंकल्टी एवं अतिथि शिक्षक, 2017 (प्रतिवादन आधार पर नियुक्त) के रूप में नियुक्त/तैनाती कार्गिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-1503/XXIV(4)/2017-07(14)/2016 T.C. दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नियमित प्राध्यापक के तैनाती के फलस्वरूप प्रभावित होने वाले संघिदा शिक्षक/गैरस्ट फैंकल्टी का उनके वर्तमान तैनाती स्थान से समीपवर्ती महाविद्यालय में तैनाती प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अतिथि शिक्षकों के पत्र दिनांक शून्य में उक्त शासनादेश संख्या-1503, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के दिशा-निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से समीपवर्ती महाविद्यालय में तैनाती प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश संख्या-1503, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश अतिथि शिक्षक, 2017 (प्रतिवादन आधार पर नियुक्त) की तैनाती के सम्बन्ध में भी माने जायेंगे।

उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(एम0एम0 रोमवाल)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पूरा सं० : टिप्री सेवा / 5.8.86

/2018-19(P.S.)

दिनांक : 04 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि :- प्राचार्य राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि शासन के वरिष्ठ पत्र के अनुपालन में नितान्त अस्थायी एवं काम गलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2017-18 में नियमित प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पृथक हुए नितान्त अस्थायी एवं काम गलाऊ व्यवस्था को अपने महाविद्यालय में स्थायी पद के सम्बन्ध सत्र 2018-19 के लिए समायोजित करना सुनिश्चित करें।

डॉ० (वी० सी०) गेलकानी
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

डॉ० रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

विषय:-

राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शिक्षण सत्र 2017-18 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक प्रतिवादन के आधार पर 585 पदों पर शिक्षण कार्य हेतु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों को रिक्त कुल 877 पदों पर अध्यापन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं। नियमित प्रवक्ताओं की चयनोपरान्त तैनाती होने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत शिक्षण सत्र, 2017-18 को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु कार्यरित/जनरित में नितान्त अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक 585 रिक्त पदों के सापेक्ष अध्यापन कार्य लिया जाना है।

2-

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 585 पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक प्रतिवादन के आधार पर शिक्षण सत्र, 2017-18 के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत रखे जाने की व्यवस्था की जाती है :-

- (i)- योग्य अभ्यर्थियों का नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अथवा दिनांक 28.02.2018 तक जो भी पहले हो, आमंत्रित किया जायेगा।
- (ii)- यू0जी0सी0 की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- (iii)- अभ्यर्थियों का चयन सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्तर से विज्ञापन प्रसारित करते हुए किया जायेगा।
- (iv)- शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को ₹ 500.00 (रु० पाँच सौ मात्र) प्रति वादन की दर से भुगतान किया जायेगा। माह में कुल पारिश्रमिक ₹ 25000.00 (रु० पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।
- (v)- शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को प्रत्येक कार्य दिवस में न्यूनतम 02 वादन का अध्यापन कार्य दिया जायेगा।
- (vi)- उक्त पद पर चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों को नियमित पदों के सापेक्ष रखे जाने का कोई भी दावा अस्वीकार्य होगा व चल रही नियमित भर्ती प्रक्रिया में यदि उनके द्वारा पूर्व ही आवेदन किया गया है तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उक्त पदों के साक्षात्कार में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की भाँति 10 प्रतिशत का वरीयता अधिकार का दावा भी अस्वीकार्य होगा।

सापेक्ष,
सा.का.से।

महोदय,

महोदय,

डॉ० रणवीर सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या-2209(1)/XXIV(4)/2017-01(14)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 4-सचिव, कार्मिक एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 6-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 8-निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7-समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8-वित्त अनुभाग-3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
- 9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-

(1)/XXIV(4)/2019-01(14)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
महालेखाकार, सत्यमेव जयते

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. वित्त अनुभाग-3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)

संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ०सं० : डिग्री सेवा / 4217-20

/2019-20

दिनांक : 13 अगस्त 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्राचार्य,समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,उत्तराखण्ड को शासन के संख्या 1083/XXIV(4)/2019-01(14) 2016 दिनांक 13 अगस्त 2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित की गेस्ट फैकल्टी/प्रातःकालीन सांध्यकालीन संविदा शिक्षकों से अनुबन्ध पूर्ण करवाकर योगदान की तिथि से गेस्ट फैकल्टी को रू० 25000.00 तथा प्रातःकालीन सांध्यकालीन संविदा शिक्षकों को रू० 15000.00 प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं मद से आहरित करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड द्वारा - सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
3. बजट अनुभाग,उच्च शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सँगणक, उच्च शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ०(एस०सी० पन्त)

प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)



उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी - 263139 (नैनीताल)

फोन नं० : 05946-240555, 240666, 240777
Mail-highereducation_director@gmail.com

पत्रांक संख्या: डिग्री सेवा/सविदा/ 2192

/2017-18

दिनांक: 18 मई 2017

डॉ० विनोद कुमार शाह,

द्वारा जी०पी० स्तुडी, स्तुडी सदन,

निकट राधा स्वामी सत्संग व्यास, प्रगति विहार, श्रीनगर (पीडी गढ़वाल)।
उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 16/XXIV(6)/2017-240/2013 दिनांक 03 जनवरी 2017 के अन्तर्गत

गयी व्यवस्थानुसार मानव विज्ञान विषय में सविदान्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु आपको राजकीय महाविद्यालय, काण्डा अर्थात् किय जाता है। पत्र निर्गत होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, काण्डा से समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित सम्पर्क स्थापित करें तथा तद्विषयक सविदा/ अनुबन्ध प्रपत्र पूरित करें। निर्धारित अर्धघंटे के पश्चात आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जायेगा। सविदा अवधि शैक्षणिक सत्र 2017-18 नियमित प्रवक्ता के आने अर्थात् लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले होतक होगी। सविदा पर कार्य करने के एवज में रू० 35000.00 (रू० पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि प्रति माह मानदेय के रूप में भुगतान की जायेगी।

सविदा/ अनुबन्ध पत्र जो रू० 10.00 का गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर होगा, यह लिखित में यह देना होगा कि मानदेय पर कार्य करने की एवज में आपके द्वारा नियमित नियुक्ति की माँग नहीं की जायेगी तथा सविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर सविदा स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। सविदा समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा। अनुबन्ध पत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि आप किसी भी दशा में सविदा पर आमंत्रण करने का आधार बनाकर विनियमितकरण की माँग नहीं करेंगे और न ही लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन हेतु किसी अधिमान का दावा करेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन में आवेदन करने के लिए आप स्वतन्त्र होंगे। इस हेतु आपको किसी प्रकार का मार्ग ध्य देय नहीं होगा।

भवदीय,

Dr. Dinesh
डॉ०(बी०सी० मेलकानी)

निदेशक, (उच्च शिक्षा),

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रुप्तः डिग्री सेवा/सविदा/

/2017-18 तद दिनांक।

प्रतिलिपि प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, काण्डा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होने पर समस्त मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता कर, भलीभाँति जाचोपरांत संतुष्ट होने पर उल्लिखित आशय का अनुबन्ध पत्र तथा सविदा प्रपत्र पूरित करवाकर शिक्षण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। सविदा प्रपत्र/ अनुबन्ध पत्र की छाया प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्व प्रमाणित

Dr. Dinesh

Dr. Dinesh
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
काण्डा (गढ़वाल)

डॉ०(बी०सी० मेलकानी)
निदेशक, (उच्च शिक्षा),
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रेषक,

श्री० अहमद इकबाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
इल्हासी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

पेहरादून दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विषय- राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शिक्षण सत्र 2020-21 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित भर्जन होने तक प्रतिवादन के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त 439 अभ्यर्थियों की संविदा अवधि विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त कुल 877 पदों पर नियमित भर्जन हेतु शासनादेश संख्या-483/XXIV(4)/2017-01(14)/2016 दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अध्यायन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं। किन्तु माओ आयोग से नियमित प्रवक्ताओं की चयनोपरान्त तैनाती होने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016 दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1470/XXIV(4)/2018-01(14)/2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र 2017-18 एवं 2018-19 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित भर्जन होने अथवा उस शिक्षण-सत्र के माह फरवरी के अन्तिम दिवस तक जो भी पहले हो, के लिए प्रतिवादन के आधार पर शिक्षण कार्य हेतु यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- अद्यतन हैं कि गत शिक्षण-सत्र 2019-20 के सुचारु संचालन हेतु शासनादेश संख्या-681/XXIV(4)/2019-01(14)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2019 द्वारा 253 अभ्यर्थियों की संविदा अवधि तथा शासनादेश संख्या-682/XXIV(4)/2019-01(14)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2019 द्वारा 186 अभ्यर्थियों की संविदा अवधि माओ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से नियमित भर्जन होने अथवा उक्त शासनादेशों की जारी होने की तिथि से 11 माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित की गयी थी, जो दिनांक 21 मार्च, 2020 को समाप्त हो गयी है।

3- अतएव उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान शिक्षण सत्र 2020-21 को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु कार्यरित/छात्ररित में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के उपरान्त पूर्व में नियुक्त/भर्जित 439 अभ्यर्थियों की संविदा अवधि माओ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से नियमित भर्जन होने अथवा उस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 11 माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, के लिए नितान्त अस्थाई एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में पूर्व व्यवस्थानुसार प्रतिवादन आधार पर विस्तारित की जाती है।

4- इसके अतिरिक्त वर्तमान में कोविड-19 वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश/प्रदेश में लॉकडाउन होने के कारण नितान्त अस्थाई एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में गत वर्ष कार्य कर रहे उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 16 मार्च, 2020 से 20 मार्च, 2020 तक कार्यरत मानते हुए इस अवधि का मानेदय भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

तत्काल में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(श्री० अहमद इकबाल)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पू०सं० : डिग्री सेवा / 242

/2020-21

दिनांक : 29.04. 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्राचार्य,राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी- द्वारा- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
3. सेंगणक/डिग्री वजट,उच्च शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

अशोक कुमार

डॉ०(अशोक कुमार)

निदेशक,उच्च शिक्षा,

उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।